12th

वार्षिक प्रतिवेदन

2011-2012

ANNUAL REPORT

उद्यमशीलता को प्रोत्साहन। संपार्श्विक प्रतिभूति रहित ऋण को समर्थन

Encouraging Entrepreneurship. Enabling Collateral Free Credit.

CGTMSE

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट

(भारत सरकार एवं सिडबी द्वारा स्थापित)

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises

(Set up by Govt. of India & SIDBI)

अनुमोदनों की संख्या (संचयी)
NUMBER OF APPROVALS (CUMULATIVE)

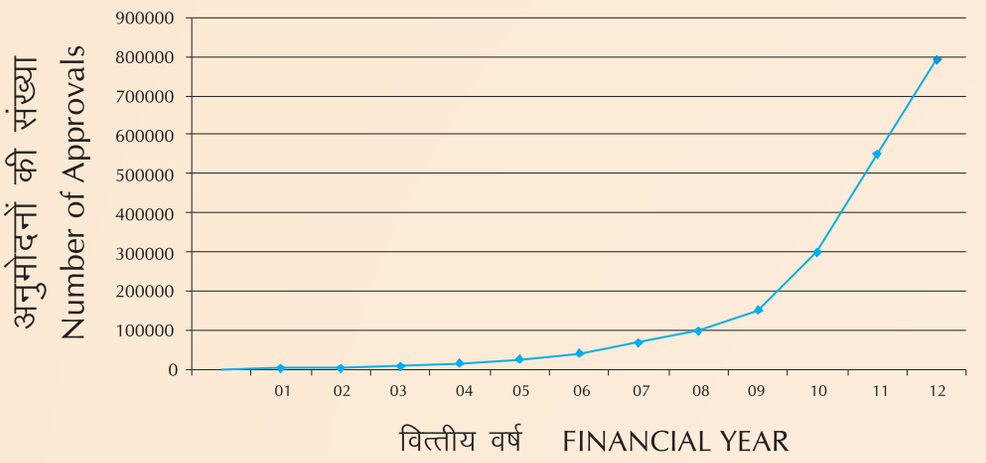

अनुमोदनों की राशियां (संचयी)
AMOUNT OF APPROVALS (CUMULATIVE)

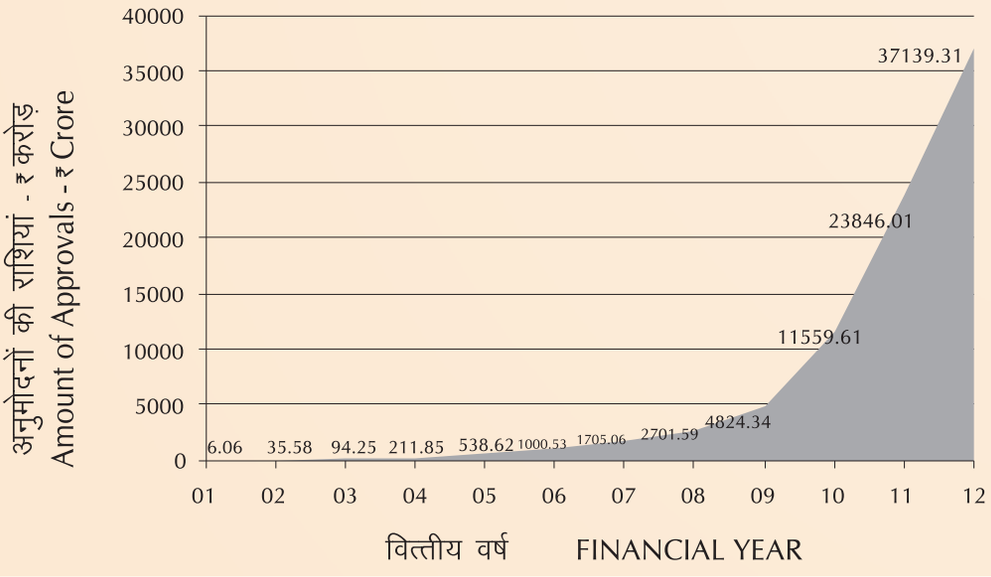

विषय-सूची

CONTENTS

प्रेषण पत्र	01	Letter of Transmittal
अध्यक्ष का संदेश	02	Message from the Chairman
मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश	03	Message from the CEO
न्यासी मंडल यथा 13 सितम्बर, 2012	04	Board of Trustees as on 13 Sep., 2012
भारतीय अर्थव्यवस्था	05	Indian Economy
31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष में सी.जी.टी.एम.एस.ई. के कामकाज की रिपोर्ट	06	Report on the working of the CGTMSE for the year ended March 31, 2012
लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट	07	Auditor's Report
तुलन–पत्र और लेखा–विवरण	08	Balance Sheet & Statement of Accounts

अपने लक्ष्य के प्रति अदम्य विश्वास से
प्रेरित दृढ़ निश्चयी व्यक्तियों का
छोटा समूह इतिहास की दिशा बदल सकता है।

महात्मा गांधी

प्रेषण-पत्र

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
एमएसएमई विकास केंद्र, 7वाँ तल,
सी-11/जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला काम्प्लेक्स,
बान्द्रा (पूर्व), **मुम्बई - 400 051**

अक्टूबर 5, 2012

प्रति

अपर सचिव और विकास आयुक्त (एमएसएमई)
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय,
भारत सरकार
विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय
निर्माण भवन, 7वीं मंजिल, "ए" विंग
मौलाना आजाद रोड, **नई दिल्ली - 110108**

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
प्रधान कार्यालय, सिडबी टॉवर, 15 अशोक मार्ग
लखनऊ - 226001

महोदय,

भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, अर्थात संस्थापकों, के द्वारा निष्पादित ट्रस्ट की घोषणा के खंड 14.2 के अनुसार, मैं निम्नलिखित दस्तावेज अग्रेषित कर रहा हूं :

(i) 31 मार्च 2012 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए ट्रस्ट के लेखापरीक्षित खातों और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट की प्रतिलिपि, और

(ii) 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कार्यचालन रिपोर्ट की प्रतिलिपि।

भवदीय,

ह./–
(यू. आर. टाटा)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

मुम्बई

अध्यक्ष का संदेश

"पिछले 12 वर्षों से, सीजीटीएमएसई ने भारत में ऋण गारंटी योजना के माध्यम से एमएसई क्षेत्र को कुशलतम सेवाएं प्रदान की हैं, जिसके अंतर्गत पात्र एमएसई को गारंटी कवर प्रदान करते हुए सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा संपार्श्विक एवम तीसरे पक्ष की गारंटी से मुक्त ऋण सुविधाएं मंजूर की गई हैं। सीजीटीएमएसई ने 31 मार्च, 2012 तक लगभग 8 लाख एमएसई को ₹ 37,000 करोड़ से अधिक की ऋण राशि को गारंटी प्रदान की है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सीजीटीएमएसई पूरी तरह से मुस्तैद है।"

हमारे देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की भूमिका बहुत पहले से प्रमाणित रही है। वस्तुतः एमएसएमई क्षेत्र, उद्यमिता की नर्सरी के समान है, जिसमें प्रायः व्यक्ति की सृजनशीलता और नवोन्मेषी दृष्टिकोण कार्य करता है। इसलिए, समानता और समावेशन के साथ राष्ट्रीय विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एमएसएमई का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। राष्ट्र के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 9 प्रतिशत है, विनिर्माण उत्पाद (मैन्युफैक्चर्ड आउटपुट) में इसका हिस्सा 45 प्रतिशत और निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है। एमएसएमई क्षेत्र, 26 मिलियन से अधिक उद्यमों में 60 मिलियन से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मुहैया कराता है जिसमें पूंजी अनुपात की तुलना में श्रम का अनुपात कम होता है। पिछले पांच वर्षों में एमएसएमई क्षेत्र में समग्र रूप से जो वृद्धि हुई है वह बड़े उद्योगों में हुई वृद्धि की तुलना में कहीं अधिक थी।

हालांकि, भारत में एमएसएमई क्षेत्र अभिनव परिवर्तन के आधार रहे हैं और विविध एवं विषम समूह होने के बावजूद उन्हें भी कुछ सामान्य स्वरूप की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है जैसे - संस्थाओं से ऋण की उपलब्धता, संपार्श्विक (कोलेटरल) अपेक्षाएं, इक्विटी पूंजी आदि। इस पृष्ठभूमि को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की गई जिसका उद्देश्य है संपार्श्विक गारंटी उपलब्ध कराना और तीसरे पक्ष की गारंटी से मुक्त ऋण सुविधा प्रदान करना ताकि भारत में एमएसई क्षेत्र की ओर ऋण का प्रवाह अधिक हो सके।

पिछले 12 वर्षों से, सीजीटीएमएसई ने भारत में ऋण गारंटी योजना के माध्यम से एमएसई क्षेत्र को कुशलतम सेवाएं प्रदान की हैं, जिसके अंतर्गत पात्र एमएसई को गारंटी कवर प्रदान करते हुए सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा संपार्श्विक एवम तीसरे पक्ष की गारंटी से मुक्त ऋण सुविधाएं मंजूर की गई हैं। सीजीटीएमएसई ने 31 मार्च, 2012 तक लगभग 8 लाख एमएसई को ₹ 37,000 करोड़ रुपए से अधिक की ऋण राशि को गारंटी प्रदान की है। भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए सीजीटीएमएसई पूरी तरह से मुस्तैद है।

यह प्रसन्नता का विषय है कि सीजीटीएमएसई ने एमएसई क्षेत्र की ओर ऋण के प्रवाह पर जिस प्रकार से सकारात्मक प्रभाव डाला है उसे सरकार ने पहचाना और देश में ऋण गारंटी का जो स्वरूप है उसमें, माननीय वित्त मंत्री द्वारा संसद में बजट-वक्तव्य के दौरान आवास, शैक्षिक ऋण एवम कौशल विकास के लिए ऋण गारंटी निधि की स्थापना की घोषणा के साथ और अधिक विस्तार होना निश्चित है।

मैं इस अवसर पर, भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), समस्त ऋणदात्री सदस्य संस्थाओं, एमएसई उद्यमियों और अन्य राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी एजेंसियों का उनके समर्थन एवं सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मुझे विश्वास है कि समस्त हितधारकों (स्टेकहोल्डरों) के सक्रिय समर्थन से सीजीटीएमएसई कार्यनिष्पादन के ऊंचे पैमाने को हासिल करते हुए निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। मैं सीजीटीएमएसई की टीम को उनके कठिन परिश्रम और समर्पण के लिए बधाई देता हूं।

सादर

मुम्बई
सितम्बर 13, 2012

ह./–
(एस. मुहनोत)

मुख्य कार्यपालक अधिकारी का संदेश

"पिछले कुछ वर्षों में सीजीएस के अंतर्गत गारंटी कवरेज में काफी तेज़ी आई है और वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान सीजीएस के अंतर्गत किए गए परिचालनों में लगातार बढोतरी हुई है और वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 2,43,981 गारंटियों पर ₹ 13,783.98 करोड़ अनुमोदित किए गए। समग्र रूप से, 31 मार्च, 2012 को कुल 7,92,229 खातों में ₹ 37,139.31 करोड़ की गारंटी को अनुमोदन प्रदान किया गया और गारंटी कवर की सुविधा लेने वाली ऋणदात्री सदस्य संस्थाओं की संख्या बढ़कर 128 हो गई है। एमएसई को प्रदान की जाने वाली संपार्श्विक-मुक्त ऋण सुविधा को प्रोत्साहित करने में ऋण गारंटी योजना काफी हद तक सफल रही है।"

सूक्ष्म और लघु उद्यमों को प्रदान किए जाने वाले बैंक ऋण के प्रवाह में तेज़ी लाने के लिए, विशेष रूप से पहली पीढ़ी के उद्यमियों को उनकी एमएसई यूनिट स्थापित करने के लिए संपार्श्विक जमानत तथा/अथवा तीसरे पक्ष की गारंटी जैसी रुकावट के बिना ऋण प्रदान करने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) मंत्रालय, भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा अगस्त, 2000 में सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना की गई। सीजीटीएमएसई, "ऋण गारंटी योजना"(सीजीएस) का संचालन करता है जो सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को प्रदान की जाने वाली 100 लाख रुपए तक की ऋण सुविधा को गारंटी प्रदान करता है जिसके लिए संपार्श्विक ज़मानत तथा / अथवा तीसरे पक्ष की गारंटी नहीं होती है।

पिछले कुछ वर्षों में सीजीएस के अंतर्गत गारंटी कवरेज में काफी तेज़ी आई है और वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान सीजीएस के अंतर्गत किए गए परिचालनों में लगातार बढोतरी हुई है और वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 2,43,981 गारंटियों पर 13,783.98 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए। समग्र रूप से, 31 मार्च, 2012 को कुल 7,92,229 खातों में 37,139.31 करोड़ रुपए की गारंटी को अनुमोदन प्रदान किया गया और गारंटी कवर की सुविधा लेने वाली ऋणदात्री सदस्य संस्थाओं की संख्या बढ़कर 128 हो गई है। एमएसई को प्रदान की जाने वाली संपार्श्विक-मुक्त ऋण सुविधा को प्रोत्साहित करने में ऋण गारंटी योजना काफी हद तक सफल रही है।

सीजीटीएमएसई का यह सौभाग्य रहा है कि उसे 31 अक्तूबर से 04 नवंबर, 2011 तक गोवा, भारत में 24वीं एशियाई ऋण संपूरण संस्था संगठन (एसीएसआइसी) सम्मेलन की मेज़बानी का अवसर प्राप्त हुआ। सम्मेलन का मुख्य विषय "ऋण गारंटी संस्थाओं की दीर्घकालीन वहन क्षमता सुनिश्चित करने में उभरती चुनौतियां" था। पूरे एशिया में 11 देशों की 16 ऋण गारंटी संस्थाएं इस संगठन की सदस्य हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि सीजीटीएमएसई और भारत सरकार ने मिलकर एसीएसआइसी सम्मेलन की मेज़बानी की थी। एसीएसआइसी के 24वें सम्मेलन की मेज़बानी दरअसल ऋण गारंटी संस्थाओं में विश्व स्तरीय सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने की दृष्टि से की गई पहल थी और यह आयोजन सीजीटीएमएसई के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय था।

भारत सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, सिडबी, ऋणदात्री सदस्य संस्थाएं एवं अन्य हितधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के सक्रिय समर्थन से सीजीटीएमएसई पूरे देश में एमएसई क्षेत्र को संपार्श्विक-मुक्त ऋण उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है और वित्तीय समावेशन के लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कटिबद्ध होकर कार्य करता रहेगा।

सादर

मुम्बई
सितम्बर 13, 2012

ह/–
(यू. आर. टाटा)

सीजीटीएमएसई के न्यासी मंडल के सदस्य (सितम्बर 13, 2012 की स्थिति के अनुसार)

श्री एस मुहनोत - अध्यक्ष (पदेन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
मुख्य कार्यालय : "सिडबी टॉवर",
15, अशोक मार्ग, लखनऊ-226 001

श्री अमरेंद्र सिन्हा, आइएएस - उपाध्यक्ष (पदेन)
अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई)
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार
ए विंग, 7वाँ तल, निर्माण भवन,
मौलाना आज़ाद रोड, नई दिल्ली-110108

श्री आलोक कुमार मिश्रा - सदस्य (पदेन)
अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ एवं अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
बैंक ऑफ इंडिया
स्टार हाउस, सी 5, जी ब्लॉक, बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स,
बान्द्रा (पूर्व), मुम्बई-400051

श्री यू आर टाटा, मुख्य - सदस्य सचिव (पदेन)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी
सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
7वाँ तल, एमएसएमई विकास केंद्र, सी-11, जी ब्लॉक,
बान्द्रा कुर्ला कॉम्प्लैक्स, बान्द्र (पूर्व), मुम्बई-400 051

आर्थिक और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम - कार्यनिष्पादन और परिदृश्य

विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था ने सन 2008 के संकट से उबरते हुए सन 2011 में 3.9% की संवृद्धि दर्ज की जबकि सन 2009 में 0.6% की नकारात्मक स्थिति थी। सन 2011 की दूसरी छमाही के दौरान अमरीका तथा अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओ के क्रियाकलापों में सुधार हुआ जिससे तीव्र विश्वव्यापी मंदी के खतरे में कमी हुई। हालांकि, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा निधि द्वारा अप्रैल 2012 में प्रकाशित वर्ल्ड इकोनोमिक आउटलुक के अनुसार यूरोप में निरन्तर आर्थिक शिथिलता की वजह से विश्वव्यापी संवृद्धि में सन 2011 के दौरान लगभग 3.9% और सन 2012 में लगभग 3.5% की गिरावट का अनुमान लगाया गया है।

अनुमान है कि विगत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष 8.4% की दर से बढ़ोतरी के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 6.5% की बढ़ोतरी हो पाएगी। यद्यपि वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कृषि और उद्योग क्षेत्रों में क्रमशः 2.8% और 3.4% गिरावट रही, तथापि, सेवा क्षेत्र ने संवृद्धि की दर को 8.9% बनाए रखा।

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र (एमएसएमई) भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, क्योंकि यह 6,000 से भी ज्यादा उत्पादों का विनिर्माण करने वाली 26 मिलियन यूनिटों के माध्यम से लगभग 60 मिलियन लोगों के लिए रोजगार का सृजन करता है, और इस प्रकार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विनिर्माण उत्पाद में लगभग 45% और निर्यात में लगभग 40% का योगदान करता है। नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार एमएसएमई क्षेत्र के उत्पादन ने वित्तीय वर्ष 2010-11 में 11.5% की उच्चतर संवृद्धि दर दर्शायी जबकि औद्योगिक क्षेत्र में यह दर 10.4% रही और समग्र आर्थिक संवृद्धि 7.4% रही (तालिका 1.1)।

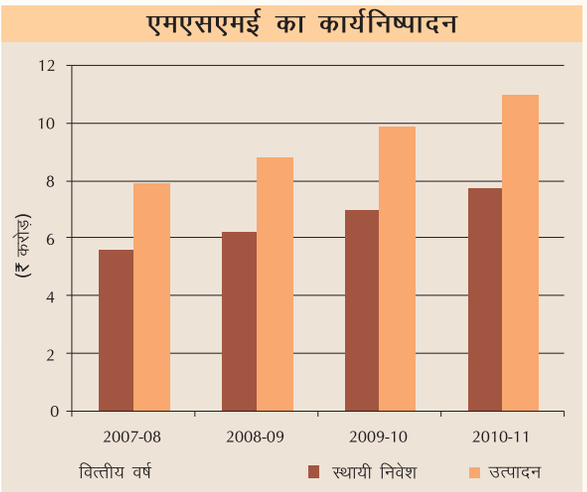

तालिका : 1.1 : एमएसएमई का कार्यनिष्पादन

वर्ष	कुल एमएसएमई (संख्या लाख में)	स्थायी निवेश (₹ करोड़)	उत्पादन (₹ करोड़) (वर्तमान कीमत)	रोजगार (लाख व्यक्ति)
2007-08	272.79 (4.51)	5,58,190 (11.47)	7,90,759 (11.47)	626.34 (5.34)
2008-09	285.16 (4.53)	6,21,753 (11.39)	8,80,805 (11.39)	659.35 (5.35)
2009-10	298.08 (4.53)	6,93,835 (11.59)	9,82,919 (11.59)	695.38 (5.47)
2010-11	311.52 (4.51)	7,73,487 (11.48)	10,95,758 (11.48)	732.17 (5.29)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत संवृद्धि दर्शाते हैं।
स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट वित्तीय वर्ष 2011-12, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र मंत्रालय, भारत सरकार

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों की ओर से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र को ऋण प्रवाह

भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुसार अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (एमएसई) क्षेत्र को दिए गए बकाया क्रेडिट में वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 14.1% की बढ़ोतरी हो गई अर्थात मार्च 2011 के ₹ 4,550 बिलियन से मार्च 2012 के अंत में ₹ 5,190 बिलियन (तालिका 1.2)।

बैंक क्रेडिट के परिनियोजन के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी क्षेत्रकीय आंकड़ों से ज्ञात होता है कि एमएसएमई के तहत विनिर्माण इकाइयों को बकाया क्रेडिट में वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 13% की बढ़ोतरी रही (वित्तीय वर्ष 2010-11 में 11%)। इसी दौरान एमएसएमई क्षेत्र की सेवा यूनिटों में 15% की न्यून संवृद्धि दर्ज हुई (वित्तीय वर्ष 2010-11 में 35.2%)।

अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सकल बैंक क्रेडिट का परिनियोजन

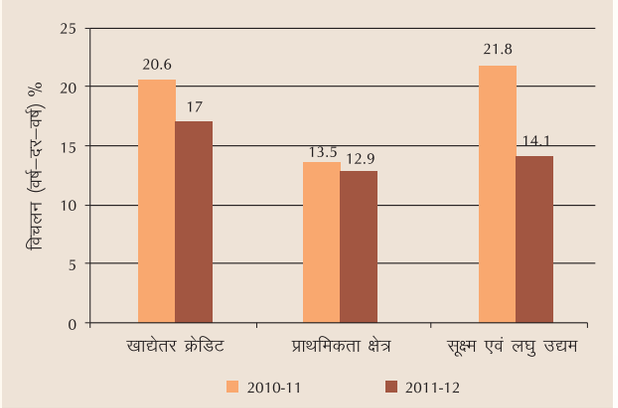

नीतिगत परिवेश

केन्द्रीय बजट 2011-12

- आधारभूत परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए वर्ष 2012-13 में टैक्स-मुक्त बॉन्डों से ₹ 60,000 करोड़ प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया। इसमें सिडबी के लिए निर्धारित ₹ 5,000 करोड़ भी शामिल हैं।
- एमएसएमई क्षेत्र को इक्विटी की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए सिडबी के साथ ₹ 5,000 करोड़ का इंडिया अपॉर्चुनिटी वेन्चर फंड स्थापित किया जाएगा।
- एमएसई के बाजार अभिगम का संवर्द्धन करने के उद्देश्य से सरकार ने एक नीति का अनुमोदन किया है, जिसमें यह अपेक्षा है कि मंत्रालय और केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र उद्यम अपनी वार्षिक खरीद का न्यूनतम 20% भाग एमएसई से करें। इनमें से 4% अधिक्रय का निर्धारण उन एमएसई से किया जाएगा जिनका स्वामित्व अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के उद्यमियों के पास है।
- लघु एवं मध्यम उद्यमियों के मामले में खातों के अनिवार्य टैक्स ऑडिट करने के साथ-साथ अनुमानिक कराधान के लिए टर्नओवर की सीमा को 60 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये किया जाएगा।
- एसएमई के लिए निधियों को बढ़ाने के प्रयोजन से आवासीय संपत्ति के

तालिका : 1.2 : अनुसूचित वाणिज्य बैंकों द्वारा सकल बैंक ऋण का परिनियोजन (बिलियन ₹)

क्षेत्र	निम्नलिखित तारीखों का बकाया			विचलन (वर्ष–दर–वर्ष)	
	मार्च 26, 2010	मार्च 25, 2011	मार्च 23, 2012	2010-11 %	2011-12 %
खाद्येतर ऋण	30400.1	36673.5	42897.4	20.6	17.0
प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	10921.8	12393.9	13991.0	13.5	12.9
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम	3735.3	4550.0	5189.7	21.8	14.1
जिनमें से					
विनिर्माण	2064.0	2291.0	2591.9	11.0	13.1
सेवा	1671.3	2258.9	2597.8	35.2	15.0
प्राथमिकता क्षेत्र को % के तौर पर एमएसई	34.2	36.7	37.1	उ.न	उ.न
खाद्येतर क्रेडिट के रुप में एमएसई का %	12.3	12.4	12.1	उ.न	उ.न

उ.न. : उपलब्ध नहीं; स्रोत : बैंकिंग ऋण का क्षेत्रवार परिनियोजन पर भारतीय रिज़र्व बैंक के आंकड़े

विक्रय पर पूंजीगत लाभ पर कर से छूट प्रदान की जाएगी, यदि विक्रय से प्राप्तियों को विनिर्माता एसएमई कम्पनी के लिए नए संयत्र और मशीनरी की खरीद के लिए इक्विटी के तौर पर प्रयुक्त करता है।

- विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता प्राप्त जनशक्ति की कमी को देखते हुए और रोजगार सृजन के लिए निर्दिष्ट दिशानिर्देशों के अनुसार विनिर्माण क्षेत्र में दक्षता का विकास करने के लिए हुए व्यय को 150% की दर से अधिभारित छूट प्रदान की जाएगी।
- स्थानीय जरूरतों के मुताबिक अधिक लोचशीलता प्रदान करने और बेहतर आउटरीच के लिए यह निर्णय किया गया कि 2012-13 में राज्य सरकारों के सहयोग से 'खाद्य प्रसंस्करण पर राष्ट्रीय मिशन' के नाम से केन्द्र प्रायोजित नई स्कीम शुरू की जाएगी।
- दक्षता विकास के लिए संस्थागत क्रेडिट का प्रवाह बढ़ाने के प्रयोजन से क्रेडिट गारंटी फंड स्थापित किया जाएगा। इससे युवाओं को बाजार-उन्मुख दक्षता हासिल करने में लाभ होगा।

विदेश व्यापार नीति 2009-14 के लिए वार्षिक अनुपूरक नीति 2012-13 के मुख्य अंश

- दो प्रतिशत ब्याज परिदान स्कीम जो केवल हथकरघा, हस्तशिल्प, कालीन और एसएमई के लिए उपलब्ध थी अब यह श्रम-प्रधान क्षेत्रों यथा खिलौने, खेल का सामान, प्रसंस्कृत कृषि उत्पादों, सिले-सिलाए कपड़ों, आदि को भी दी जाएगी और यह 31 मार्च 2013 तक उपलब्ध रहेगी।
- निर्यात क्षेत्र के सतत तकनीकी विकास के लिए जीरो शुल्क निर्यात संवर्द्धन पूंजीगत माल स्कीम को 31 मार्च 2013 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।
- जीरो ड्यूटी ईपीसीजी स्कीम के दायरे को बढ़ा दिया गया है और अब यह उन यूनिटों के लिए भी उपलब्ध होगी जो प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि स्कीम (टीयूएफएस) का लाभ उठा रहे हैं। अतिरिक्त जीरो ड्यूटी ईपीसीजी प्राधिकृतिकरण को उसी आवेदक द्वारा अन्य कारोबारी लाइन के लिए भी लिया जा सकेगा। इसके अलावा यदि कारोबार की लाइन वही है और टीयूएफएस के लाभ पहले ही लिए जा चुके हैं तो भी जीरो ड्यूटी ईपीसीजी स्कीम का लाभ लिया जा सकेगा, बशर्ते पहले ली जा चुकी टीयूएफएस लाभों को अनुमेय ब्याज के साथ समर्पित/लौटा दिया जाए।
- जीरो ड्यूटी ईपीसीजी स्कीम के लाभ ऐसे आवेदकों को उपलब्ध नहीं थे, जो 31 मार्च 2012 तक स्टेटस होल्डर इन्सेन्टिव स्क्रिप (एसएचआईएस) का लाभ ले चुके हों। यह निर्णय किया गया कि यदि पहले ही लिए जा चुके एसएचआईएस के लाभों को अनुमेय ब्याज के साथ बाद में संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी (आरए) को समर्पित कर दिया जाता है तो जीरो ड्यूटी ईपीसीजी स्कीम के लाभ प्रदान किए जाएंगे।
- **नई पोस्ट-एक्सपोर्ट ईपीसीजी स्कीम की शुरुआत :** यदि निर्यातक चाहें तो शुल्क का नकद भुगतान करके पूंजीगत माल का आयात कर सकते हैं और बाद में निर्यात दायित्व को पूरा करने के ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार, पूंजीगत माल के आयात के समय कोई ड्यूटी रेमिसन/शुल्क से छूट नहीं करनी होगी। यह देखते हुए कि पूंजीगत माल के आयात के समय पहले ही से शुल्कों का भुगतान कर दिया गया है तो निर्यात दायित्व भी सामान्य निर्यात दायित्व का 85% ही रहेंगे। निर्यात निष्पादन के आधार पर बाद में निर्धारित निर्यात दायित्व के समानुपात में आरए द्वारा ड्यूटी क्रेडिट स्लिप जारी की जाएगी। इससे निगरानी और रिपोर्टिंग की जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि यह स्कीम स्वतः ही निगरानी करेगी। घटी हुई लेनदेन लागत और तुलनात्मक रूप से घटे हुए निर्यात दायित्व मिलकर इस स्कीम को आकर्षक बनाएंगे।
- वर्तमान में ईपीसीजी स्कीम के तहत, कुछ क्षेत्रों यथा - हस्तशिल्प, हथकरघा, कुटीर क्षेत्र, अतिलघु क्षेत्र; कृषि, जल-जन्तुपालन (मछली पालन सहित), बागवानी, मत्स्य-पालन, द्राक्षा-कृषि, कुक्कुट पालन और रेशम-कीट पालन पर निर्यात का औसत स्तर बरकरार रखने की शर्त लागू नहीं होती है। इस सूची में तीन नए क्षेत्र और जोड़ दिए गए हैं यथा - कालीन, नारियल रेशे और जूट। इससे इन श्रम-प्रधान उद्योगों को काफी राहत मिलेगी, क्योंकि इनके लिए औसत निर्यात दायित्व को बनाए रख पाना कठिन हो रहा था।
- देश के पूर्वोत्तर प्रान्त में विनिर्माण क्रियाकलापों और रोजगार बढ़ाने के लिए ईपीसीजी स्कीम के तहत निर्यात दायित्वों को सामान्य निर्यात दायित्वों का 25 प्रतिशत रखा गया है। यह अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैन्ड, त्रिपुरा और सिक्किम राज्यों के लिए अनुमेय होगा।
- अभिनिर्धारित 16 हरित प्रौद्योगिकी उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, ईपीसीजी स्कीम के तहत इन उत्पादों के विनिर्माण के लिए निर्यात दायित्व को घटाकर सामान्य निर्यात दायित्वों का 75 प्रतिशत रखा गया है।
- पूंजीगत माल का आयात करने के लिए अवस्थिति धारकों को अवस्थिति धारक प्रोत्साहन स्क्रिप जारी किए जाते हैं, ताकि वे चमड़ा, वस्त्र और जूट, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग, प्लास्टिक और मूलभूत रसायनों जैसे कुछ विशिष्ट श्रम-प्रधान क्षेत्रों में प्रोद्योगिकी के उन्नयन के लिए निवेश को बढ़ावा दे सकें। अब यह निर्णय किया गया है कि इन स्क्रिपों के मूल्य के 10 प्रतिशत को पहले आयात किए गए पूंजीगत माल के कल-पुर्जों के आयात में प्रयुक्त करने की अनुमति दी जाएगी।

- हस्तशिल्प वस्तुओं के निर्यात और ऊनी दरी, मोटी चटाइयों, गब्बे, नमदे और शैगी सहित अन्य हस्तनिर्मित ऊनी कालीनों जैसी फर्श पर बिछाई जाने वाली चीजों को 'डिलीवरी अगेन्स्ट एक्सेप्टेन्स' शर्त के आधार पर अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि इन्हें बैंक गारंटी या ईसीजीसी गारंटी में कवर नहीं किया जाता है। इससे छोटे निर्यातकों के कारोबारी और वित्तीय हितों की महत्वपूर्ण रूप से रक्षा हो सकेगी।
- अब से निर्यातकों को विभिन्न सौदों के लिए सिंगल रिवोल्विंग बैंक गारंटी देने की अनुमति होगी।
- वर्तमान में हस्तशिल्प वस्तुओं, सूत-निर्मित सामग्री, और पॉलिएस्टर-निर्मित समाग्री के निर्यात के बदले में स्थापना वस्तुओं के ड्यूटी रहित आयात की अनुमति है। अब यह सुविधा सिन्थेटिक-निर्मित सामग्री के निर्यात के बदले में भी दी जाएगी।

आर्थिक परिदृश्य

आशा है कि 2012 के 3.5 प्रतिशत की संवृद्धि के मुकाबले 2013 में 4.1 प्रतिशत की संवृद्धि दर्ज करने के लिए विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था सकारात्मक परिदृश्य प्रस्तुत करेगी। इस संवृद्धि में अगुआ रहने वाले देश होंगे यूएसए, चीन, जापान और मध्य एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका (एमईएनए) के देश। इसी प्रकार भारत भी विकास के पथ पर रहते हुए वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अपेक्षित उच्चतर संवृद्धि की गति बनाए रखेगा।

एमएसएमई क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और समग्र अर्थव्यवस्था की तुलना में उच्चतर संवृद्धि दर्ज करता रहा है, और आवश्यक नीतिगत समर्थन से यह संवृद्धि की दिशा और गति को बरकरार रखेगा।

सीजीटीएमएसई की रिपोर्ट

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कार्यचालन की रिपोर्ट 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष के लिए

परिचय

1. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की समूह निधि

1.1 इस ट्रस्ट की समूह निधि का अंशदान भारत सरकार और भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा 4:1 के अनुपात में किया जाता है। इस ट्रस्ट की प्रतिबद्ध समूह निधि 2,500 करोड़ रुपये है, जिसका अंशदान भारत सरकार (₹ 2,000 करोड़) और सिडबी (₹ 500 करोड़) द्वारा किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान ट्रस्ट को इस समूह निधि के लिए ₹ 2.23 करोड़ प्राप्त हुए जिसमें से भारत सरकार का योगदान ₹ 1 करोड़ रहा, जबकि सिडबी ने ₹ 1.23 करोड़ प्रदान किए, जिससे समूह निधि की सकल धनराशि में दोनों का अलग-अलग योगदान क्रमशः ₹ 1726.25 करोड़ और ₹ 432.54 करोड़ हो गया। ट्रस्ट की कुल समूह निधि 31 मार्च 2012 को ₹ 2158.79 करोड़ थी, जो कि निर्धारित समूह निधि का 86.35% है। इस समूह निधि में वर्ष-वार योगदान का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है :

समूह निधि में अंशदान (₹ करोड़)

वित्तीय वर्ष	भारत सरकार	सिडबी	कुल
2001	100.00	25.00	125.00
2002	100.00	25.00	125.00
2003	141.62	35.40	177.02
2004	192.00	51.84	243.84
2005	211.63	49.07	260.70
2006	200.00	50.00	250.00
2007	124.00	33.00	157.00
2008	198.00	47.50	245.50
2009	122.10	34.00	156.10
2010	135.91	30.50	166.41
2011	200.00	50.00	250.00
2012	1.00	1.23	2.23
कुल	**1726.25**	**432.54**	**2158.79**

सीजीटीएमएसई समूह निधि

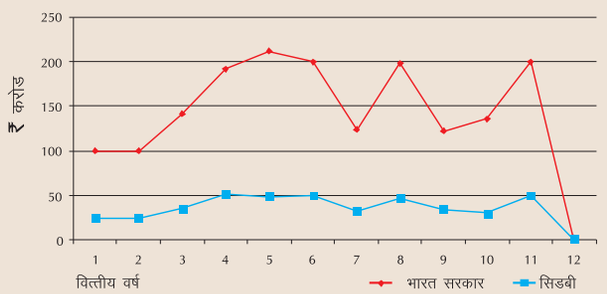

1.2 भारत सरकार और सिडबी से अभी ₹ 341.21 करोड़ का अंशदान मिलना बाकी है। गारंटी अनुमोदनों में तेज बढ़ोतरी के कारण यह अनुभव किया गया कि आगामी समय में इस फंड को समुचित रूप से बढ़ाना होगा। इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई पहले ही आरंभ की जा चुकी है।

2. सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान ट्रस्ट में चार नई सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं का पंजीकरण हुआ, इससे 31 मार्च 2012 की स्थिति के अनुसार पात्र ऋणदात्री संस्थाओं की संख्या बढ़कर 128 हो गई **(अनुबंध-I)**. वर्तमान में सरकारी क्षेत्र के 26 बैंक, निजी क्षेत्र के 18 बैंक, 4 विदेशी बैंक, 71 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, 9 अन्य वित्तीय संस्थाएं इस ट्रस्ट से गारंटी कवर प्राप्त करने की पात्र हैं। शामिल की गई 4 नई संस्थाओं के नाम हैं – जम्मू-कश्मीर ग्रामीण बैंक, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक और वनांचल ग्रामीण बैंक। इसके अलावा वर्ष के दौरान कुछ सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं का समापन भी हुआ क्योंकि इनका विलय दूसरे बैंकों/ सदस्य ऋणदाता संस्थाओं

सदस्य ऋणदाता संस्थाएं

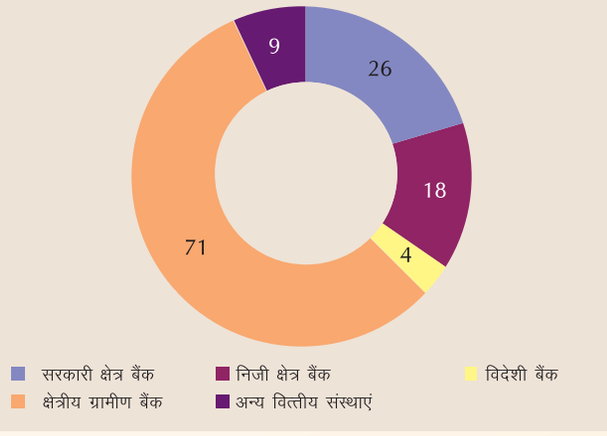

में हो गया। दि बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड का विलय आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर का विलय भारतीय स्टेट बैंक में हो गया।

3 ऋण गारंटी योजना के तहत परिचालन

3.1 मार्च 31, 2012 को ऐसी 109 सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं थीं जो गारंटी कवर ले रही थीं, जबकि **विगत वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी 106 सदस्य ऋणदाता संस्थाएं थीं। निम्नलिखित तालिका में इस ट्रस्ट की** स्थापना से लेकर 31 मार्च 2012 तक दिए गए गारंटी अनुमोदनों का वर्ष-वार विवरण दिया गया है:

3.2 वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान 3.94% की मामूली गिरावट को छोड़कर, संख्या की दृष्टि से ऋण गारंटी योजना के परिचालन में बढ़ोतरी जारी रही । केवल वित्तीय वर्ष 2000-01 में गारंटी कवर लेने वाली केवल 9 सक्रिय सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं थीं जो कि 31 मार्च 2012 को बढ़कर 109 सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं हो गयी। वित्तीय वर्ष 2011-2012 के दौरान कुल ₹ 13,783.98 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन कुल 2,43,981 गारंटियों के लिए किया गया। संचयी रूप से 31 मार्च 2012 को कुल 7,92,229 खातों के लिए ₹ 37,139.31 करोड़ की गारंटी की स्वीकृति दी जा चुकी है।

वित्तीय वर्ष	सक्रिय एमएलआई की संख्या	अनुमोदित ऋण सुविधाओं की संख्या	अनुमोदित गारंटियों की रकम (₹ करोड़)	अनुमोदित संचयी गारंटियां (₹ करोड़)	औसत आकार (₹ लाख)
2000-01	9	951	6.06	6.06	0.63
2001-02	16	2296	29.52	35.58	1.28
2002-03	22	4955	58.67	94.25	1.18
2003-04	29	6603	117.60	211.85	1.78
2004-05	32	8451	267.46	538.62	3.16
2005-06	36	16284	461.91	1000.53	2.83
2006-07	40	27457	704.53	1705.06	2.56
2007-08	47	30285	1055.84	2701.59	3.48
2008-09	57	53708	2199.40	4824.34	4.09
2009-10	85	151387	6875.11	11559.61	4.54
2010-11	106	254000	12589.22	23846.01	4.95
2011-12	109	243981	13783.98	37139.31	5.65
31.03.2012 को संचयी आधार पर		**792229**		**37139.31**	**4.69**

*** अन्तर्वर्ती निरस्तीकरणों/संशोधनों के कारण वास्तविक आंकड़ों में अंतर हो सकते हैं।**

अनुमोदनों की संख्या (संचयी)

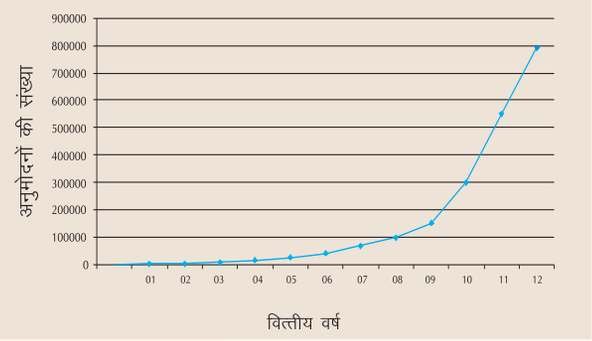

अनुमोदनों की राशियां (संचयी)

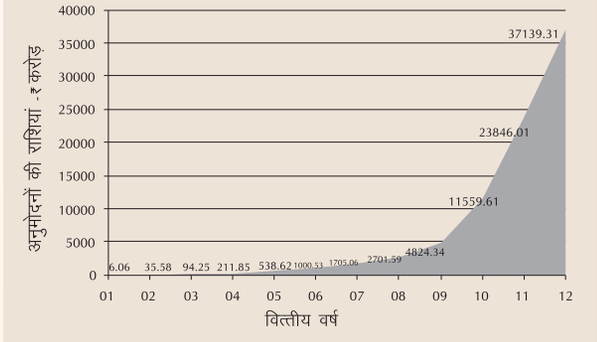

सदस्य ऋणदात्री संस्था-वार कवरेज

3.3 वित्तीय वर्ष 2012 के लिए सदस्य ऋणदात्री संस्था-वार गारंटी कवरेज और 31 मार्च 2012 तक का संचयी कवरेज **अनुबंध-II** में दिया गया है। कवर किए गए प्रस्तावों की संख्या की दृष्टि से ऋण गारंटी योजना के तहत शीर्षस्थ पांच सदस्य ऋणदात्री संस्थाए इस प्रकार रहीं - भारतीय स्टेट बैंक (48,593 प्रस्ताव ₹ 2,492.40 करोड़ हेतु), बैंक ऑफ इंडिया (25,516 प्रस्ताव ₹ 1,827.09 करोड़ हेतु), इंडियन ओवरसीज बैंक (20,728 प्रस्ताव ₹ 1,170.08 करोड़ हेतु), पंजाब नेशनल बैंक (16,751 प्रस्ताव ₹ 1,233.95 करोड़ हेतु) और केनरा बैंक (11,779 प्रस्ताव ₹ 589.43 करोड़ हेतु)।

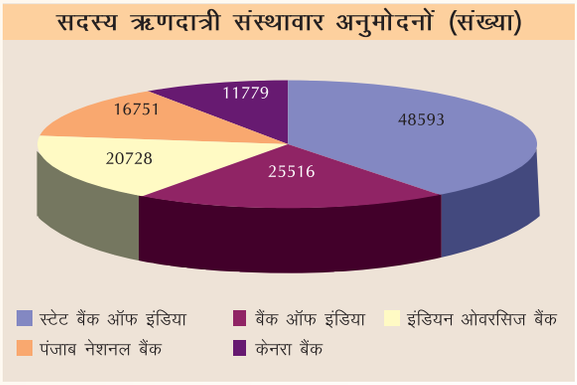

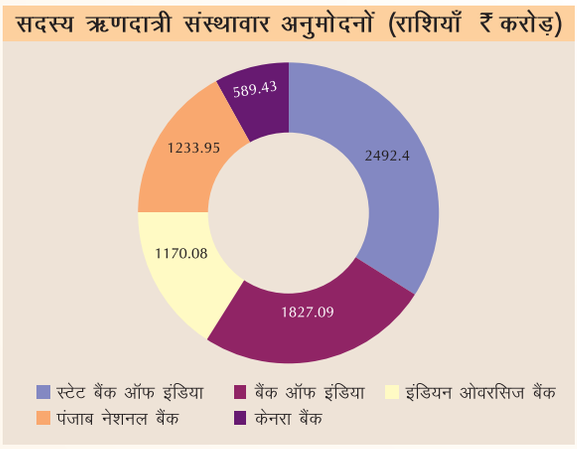

3.4 संचयी रूप में 31 मार्च 2012 को भारतीय स्टेट बैंक को ₹ 6,355.71 करोड़ के 1,53,923 प्रस्तावों के लिए कवरेज दी गई, जो कि सर्वोच्च है, इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया (₹ 5,540.66 करोड़ के लिए 89,944 प्रस्ताव), पंजाब नेशनल बैंक (₹ 3,816.79 करोड़ के लिए 85,660 प्रस्ताव), केनरा बैंक (₹ 2,016.74 करोड़ के लिए 60,683 प्रस्ताव) और इंडियन ओवरसीज बैंक (₹ 2,186.72 करोड़ के लिए 51,170 प्रस्ताव)।

राज्य-वार कवरेज

3.5 वित्तीय वर्ष 2012 के लिए राज्य-वार गारंटी कवरेज और 31 मार्च 2012 तक का संचयी कवरेज **अनुबंध-III** में दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान राज्यों में से उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक संख्या में आवेदन जमा किए (₹ 1,466.06 करोड़ हेतु 30,556 प्रस्ताव), इसके बाद कर्नाटक (₹ 1,212.24 करोड़ हेतु 24,624 प्रस्ताव), केरल (₹ 563.64 करोड़ हेतु 22,832 प्रस्ताव), पश्चिम बंगाल (₹ 871.17 करोड़ हेतु 17,291 प्रस्ताव) और तमिलनाडु (₹ 1,002.02 करोड़ हेतु 14,865 प्रस्ताव) का स्थान रहा।

3.6 क्रेडिट गारंटी स्कीम के तहत 31 मार्च 2012 तक के राज्य-वार संचयी कवरेज से ज्ञात होता है कि अनुमोदित प्रस्तावों में उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक 1,10,817 प्रस्तावों का अनुमोदन करके ₹ 3,982.81 करोड़ दिए गए, इसके बाद केरल (₹ 1,741.90 करोड़ हेतु 75,830 प्रस्ताव), पश्चिम बंगाल (₹ 2,834.07 करोड़ हेतु 72,106 प्रस्ताव), तमिलनाडु (₹ 2,898.49हेतु 65,177 प्रस्ताव) और कर्नाटक (₹ 3,136.72 करोड़ हेतु 63,403 प्रस्ताव) का स्थान रहा।

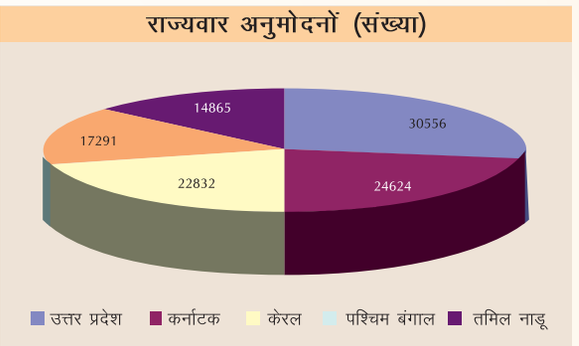

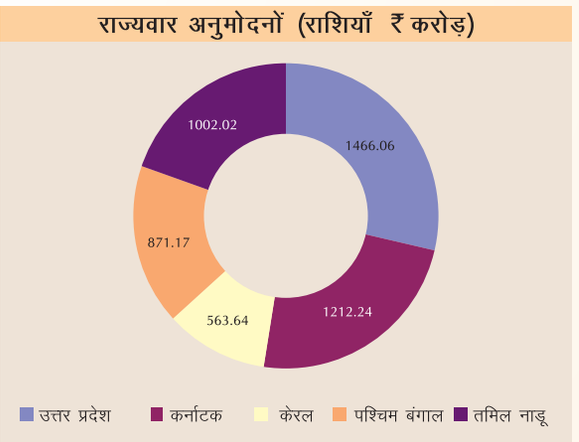

उद्योग-वार कवरेज

3.7 गारंटीकृत (संचयी एवं वित्तीय वर्ष 2012) मामलों का क्षेत्रवार विश्लेषण **अनुबंध-IV** में दिया गया है।

स्लैब-वार कवरेज

3.8 ऋण गारंटी योजना के तहत स्लैब-वार (संचयी एवं वित्तीय वर्ष 2012) कवरेज के आंकड़े **अनुबंध-V** में दिए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान अनुमोदित अधिकांश प्रस्ताव छोटे ऋणों के संबंध में

थे। इस दौरान 1,87,053 प्रस्तावों के लिए ₹ 3,536.89 करोड़ के अनुमोदन किए गए जो कि रु.5 लाख तक के ऋणों के संबंध में थे और जो वित्तीय वर्ष 2012 के लिए अनुमोदित कुल गारंटियों का 76.66% बनता है। वित्तीय वर्ष 2012 में अनुमोदित 2,43,981 प्रस्तावों की ₹ 13,783.98 करोड़ राशि में से 58,574 प्रस्ताव (24.00%) ऐसे थे जो एक लाख रुपये तक के ऋण के लिए थे; इनमें 66,148 प्रस्ताव (27.11%) ऐसे थे जिनका ऋण घटक ₹ 1,00,001 से ₹ 2 लाख के दायरे में था; 62,331 प्रस्ताव (25.54%) ₹ 2,00,001 से ₹ 5 लाख के दायरे में थे; 25,471 प्रस्ताव (10.43%) ₹ 5,00,001 से ₹ 10 लाख के दायरे में थे; 22,653 प्रस्ताव (9.28%) ₹ 10,00,001 से ₹ 25 लाख के दायरे में थे; 5,938 प्रस्ताव(2.43%) ₹ 25,00,001 से ₹ 50 लाख के दायरे में थे; और 2,866 प्रस्ताव (1.17%) ₹ 50 लाख से ₹ 100 लाख तक के वर्ग में थे।

शामिल किए ऋणों का औसत आकार

3.9 योजना की शुरुआत से लेकर अब तक कवर किए गए ऋणों के औसत आकार को देखने से बढ़ोतरी की प्रवृत्ति का पता चलता है। वित्तीय वर्ष 2001 में यह ₹ 0.63 लाख था जो कि वित्तीय वर्ष 2011 में बढ़कर ₹ 4.96 लाख हो गया और वित्तीय वर्ष 2012 में यह ₹ 5.65 लाख रुपये हो गया जिसका समग्र औसत ₹ 4.69 लाख होता है।

दावों का निपटान

3.10 वित्तीय वर्ष 2011-12 अर्थात अप्रैल 01, 2011 से मार्च 31, 2012 के दौरान ₹ 231.59 करोड़ की राशि के लिए 5033 आवेदन गारंटी के इनवोकेशन के लिए और चूककर्ता कर्जदारों के प्रति किए गए दावों के निपटान के लिए प्राप्त हुए, जिनके लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट द्वारा गारंटी जारी की गई थी और गारंटी मान्य थी। दायर किए गए आवेदनों में से 1894 इकाइयों के संबंध में किए गए दावे प्रथम किस्त के लिए पहले ही निपटाए जा चुके हैं जिनकी राशि ₹ 66.99 करोड़ बनती है, ₹ 4.43 करोड़ के लिए 201 इकाइयों के दावों को अस्वीकार किया जा चुका है और 37 इकाइयों के संबंध में ₹ 1.30 करोड़ के दावों को वापस लिया जा चुका है।

4 विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम फंड

विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय ने हस्तशिल्प क्षेत्र में सदस्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा दस्तकारों को दिए गए ऋणों के लिए वार्षिक सेवा शुल्क और गारंटी शुल्क को पूरा करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में ₹ 2.80 करोड़ की फंड रखी है। विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) ने इसी प्रयोजन के लिए आगामी तीन वर्ष के लिए प्रतिवर्ष ₹ 3 करोड़ देने का वचन भी दिया है। मार्च 31, 2012 की स्थिति के अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ने दिए गए ₹ 2.80 करोड़ में से ₹ 1.74 करोड़ रुपये का उपयोग किया।

5. विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम फंड

विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय ने हथकरघा क्षेत्र में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा दस्तकारों को दिए गए ऋणों के लिए वार्षिक सेवा शुल्क और गारंटी शुल्क को पूरा करने के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए ₹ 82.50 लाख की फंड रखी है। इस ₹ 82.50 लाख की रकम में 23 दिसम्बर 2011 को वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त ₹ 26.25 लाख की रकम भी शामिल है जो वाराणसी और मुर्शिदाबाद के हथकरघा बुनकरों के विशाल समूहों के लिए गारंटी कवर के लिए है। ट्रस्ट ने विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) की तरह से विकास आयुक्त (हथकरघा) के साथ भी व्यवस्था की है, इससे ऐसे ऋणों को दी जाने वाली कवरेज में बढ़ोतरी में सुविधा होगी। अब ट्रस्ट ने वर्तमान सॉफ्टवेयर में संशोधन किया है, ताकि इस व्यवस्था को संचालित किया जा सके।

6. व्यवसाय विकास प्रयास

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ने प्रिन्ट और प्रेस मीडिया, कार्यशालाओं/संगोष्ठियों के आयोजन, विभिन्न जिला/राज्य/ राष्ट्रीय मंचों पर आयोजित कार्यक्रमों में प्रतिभागिता आदि बहुमार्गी तरीकों से बैंकों, एमएसई उद्योग संघों, एमएसई क्षेत्र, आदि के बीच ऋण गारंटी योजना के बारे में जागरुकता पैदा की है। वर्ष के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ने सम्पूर्ण देश में सदस्य ऋणदाता संस्थाओं के संगठनों द्वारा आयोजित विभिन्न संगोष्ठियों/कार्यशालाओं, एमएसई क्षेत्र के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक/सरकार द्वारा आयोजित प्रदर्शनियों और बैठकों में हिस्सा लिया ताकि ऋण गारंटी योजना के बारे में जागरुकता पैदा की जा सके। जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तरी क्षेत्र जैसे अल्प-सेवित इलाकों और महिला उद्यमियों में जागरुकता पैदा करने और कवरेज बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के कार्याधिकारियों ने अपनी सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं के साथ व्यवसाय विकास बैठकों का भी आयोजन किया। इस योजना की दर्शनीयता को बढ़ाने और जागरुकता पैदा करने के लिए समूचे देश में सारे वर्ष प्रिन्ट मीडिया में लगातार अभियान चलाए गए। विभिन्न हित-धारकों के बीच जानकारी का प्रसार करने वाले अभियान जोर-शोर के साथ चलाए गए।

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ने 585 संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं/ बैंकर्स सभाओं/ व्यवसाय विकास बैठकों में हिस्सा लिया और बैंकों के कार्याधिकारियों/ लघु उद्यमियों को ऋण गारंटी योजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देने के लिए प्रस्तुतियां दीं। इन कार्यशालाओं का आयोजन सामान्यतया सदस्य बैंकों/ सिडबी/ सूक्ष्म एवं

लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट/ उद्योग संघों आदि द्वारा किया गया।

7. ऋण गारंटी योजना परिचालनों का समग्र प्रभाव

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के परिचालनों का ऋणा गारंटित एमएसई के टर्नओवर, निर्यात और रोजगार की दृष्टि से अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जैसा कि निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

	31/03/2012 को	31/03/2011 को
अनुमोदित संचित गारंटी	7,92,229	5,51,740
ऋण की रकम (एमएलआई द्वारा प्रदत्त ₹ करोड)	37,139.31	23,846.01
गारंटीशुदा यूनिटों का अनुमानित टर्नओवर (₹ करोड)	255314.49	148314.37
गारंटीशुदा यूनिटों द्वारा अनुमानित निर्यात (₹ करोड)	4219.98	3149.43
अनुमानित रोजगार सृजन (संख्या लाख में)	39.95	32.13
सदस्य ऋणदाता संस्थानों की संख्या	128	126

विशेष : अन्तर्वर्ती निरस्तीकरणों/संशोधनों के कारण वास्तविक आंकड़ों में अंतर हो सकते हैं। टर्नओवर, निर्यात और रोजगार सृजन के बारे में दिए गए आंकड़े सदस्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा रिपोर्ट किए अनुसार हैं।

8. एशियन क्रेडिट सप्लीमेन्टेशन इंस्टीट्यूट कॉनफेडरेशन (एसीएसआईसी) 24 वां सम्मेलन

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ने गोवा, भारत में 31 अक्तूबर से 4 नवम्बर 2011 के दौरान 24वें एसीएसआईसी सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का उद्घाटन 1 नवम्बर 2011 को होटल ताज एक्जोटिका, गोवा, भारत में श्री अमरेन्द्र सिन्हा, आईएएस, अतिरिक्त सचिव और विकास आयुक्त (एमएसएमई) द्वारा किया गया। इसके अलावा श्री एस. मुहनोत, सीएमडी; श्री एन. के. मैनी, डीएमडी, सिडबी; 11 देशों के 14 गारंटी संगठनों के 83 कार्याधिकारियों ने सम्मलेन में हिस्सा लिया और ऋण गारंटी योजना की दीर्घकलीन निरन्तरता सुनिश्चित करने के लिए सामने आने वाली चुनौतियों पर विचार-विनिमय किया।

9. लेखापरीक्षक

9.1 वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म मैसर्स रे एन्ड रे, मुम्बई को सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का आंतरिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया गया है। लेखापरीक्षकों ने सम्पूर्ण कम्प्यूटर सिस्टमों की समेकित समीक्षा करने के साथ-साथ राजस्व व्यय, निवेश और राजस्व आय को शामिल करते हुए वित्तीय लेखापरीक्षा की है।

9.2 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की संस्तुति के अनुसार इस ट्रस्ट के बोर्ड ने चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट फर्म मैसर्स डी. सी. बोथरा एन्ड कम्पनी, मुम्बई को वित्तीय वर्ष 2011-12 के लिए सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का सांविधिक लेखापरीक्षक नियुक्त किया है।

10. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट को कर से छूट

तत्कालीन माननीय वित्त मंत्री द्वारा 28 फरवरी 2002 को प्रस्तुत और संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक के प्रावधानों के अनुसार, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 की उपधारा 23 ई/बी के तहत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की आय को वित्तीय वर्ष 2001-02 (कर निर्धारण वर्ष 2002-03) से पांच साल के लिए आयकर के भुगतान से छूट प्रदान की गई। आयकर से यह छूट वित्तीय वर्ष 2005-06 में समाप्त हो गई और इसे आगे की अवधि के लिए बढ़ाया नहीं गया है। चूंकि आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 2(15) के तहत की गई अभिव्यक्ति 'धर्मार्थ प्रयोजन' के आशय से इस ट्रस्ट के उद्देश्यों को 'जनसामान्य की उपयोगिता का उद्देश्य' माना जा सकता है, अतः कराधान वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए धारा 11 के तहत (धर्मार्थ ट्रस्टों के लिए) छूट और कुल आय के आकलन को शून्य रुपये मानने के ट्रस्ट के दावे को कराधान प्राधिकरण ने स्वीकार कर लिया है। इसके परिणामस्वरूप ट्रस्ट ने (कराधान वर्ष 2007-08 और 2008-09 के लिए) भुगतान किए गए ₹ 113.45 करोड़ की वापसी के लिए आयकर विभाग में दावा किया है, जिसमें से अब तक 100.78 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं और शेष राशि अभी प्रतीक्षित है। इस मामले में प्रयत्न लगातार जारी है।

वित्त अधिनियम, 2008 ने कराधान वर्ष 2009-10 से 'जनता की उपयोगिता के किसी अन्य उद्देश्य को प्रवर्तित करना' इस वाक्यांश के दायरे को सीमित करने के लिए अधिनियम की धारा 2(15) को संशोधित/ प्रतिस्थापित कर दिया है। उक्त संशोधन के अनुसार यदि किसी ट्रस्ट के क्रियाकलाप में ऐसे

क्रियाकलापों का होना निहित है जो किसी शुल्क या अधिभार या किसी प्रकार का अन्य लाभ लेते हुए व्यापार, वाणिज्य या कारोबार की प्रकृति का है तो इसे अधिनियम की धारा 2(15) के तहत 'धर्मार्थ प्रयोजन' की परिभाषा के दायरे में नहीं लिया जाएगा। अधिनियम की धारा 2(15) में उक्त संशोधन को देखते हुए 7 दिसम्बर 2011 को आयकर निदेशक (छूट) ने अधिनियम की धारा 12एए(3) के तहत आदेश जारी करके इस ट्रस्ट के पंजीकरण को निरस्त कर दिया/वापस ले लिया है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट ने आयकर निदेशक (छूट) के आदेश के खिलाफ आयकर अपीलीय अधिकरण, मुम्बई के समक्ष अपील दायर की है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ट्रस्ट ने ₹ 124.50 करोड़ का अग्रिम कर जमा किया है।

11. लेखा-बहियां

वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ट्रस्ट को ₹ 571.93 करोड़ की आय हुई, जिसमें मुख्यतया गारंटी शुल्क (₹ 165.17 करोड़), वार्षिक सेवा शुल्क (₹ 97.34 करोड़), निवेशों पर अर्जित ब्याज (₹ 309.42 करोड़) का समावेश है। ट्रस्ट ने विभिन्न परिचालनागत और प्रशासनिक व्ययों के रूप में ₹ 5.20 करोड़ खर्च किए, जिसमें मुख्य रूप से स्टाफ का वेतन और भत्ते (₹ 1.28 करोड़), विज्ञापन और प्रचार पर व्यय (₹ 0.68 करोड़), कार्यालय परिसर का किराया (₹ 0.76 करोड़), वेब-होस्टिंग, आईटी सेवाओं और कम्प्यूटर तथा साफ्टवेयर व्यय के लिए अन्य संबंधित प्रभारों (₹ 0.39 करोड़) और अन्य कार्यालय खर्चों का समावेश है। करों के भुगतान के पश्चात व्यय की तुलना में आय का अधिक्य ₹ 415.07 करोड़ रहा जिसमें प्रावधान अभी किए जाने बाकी हैं। वित्तीय वर्ष 2009 से ही ट्रस्ट की देयता के बीमांकीय मूल्यांकन के आधार पर वार्षिक प्रावधान किए जा रहे हैं। दावों हेतु प्रावधान का मूल्यांकन जारी की गई गारंटियों और प्राप्त दावों के बीच अपवर्ती समीकरण का प्रयोग करते हुए बीमांकक द्वारा किया जाता है। इससे पहले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के ट्रस्टी बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के आधार पर प्रावधान किया जाता था। वित्तीय वर्ष 2011-12 हेतु प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है:

विवरण	धनराशि (₹ करोड़)
01 अप्रैल 2011 को आरंभिक शेष	399.20
घटाएं : साल के दौरान भुगतान किए गए दावे	66.99
जोड़ें : साल के दौरान किए गए प्रावधान	282.00
31 मार्च 2012 को अंतिम शेष	614.21

मार्च 31, 2012 को अनुमानित संचयी प्रावधान रु 614.21 करोड़ रखा गया है।

12. समूह निधि, निवेश और जारी गारंटियां

वर्ष के दौरान इस ट्रस्ट को संस्थापकों से समूह निधि में अंशदान के रूप में ₹ 2.23 करोड़ प्राप्त हुए। इस रकम और समूह निधि के लिए पहले ही से प्राप्त अंशदान और ट्रस्ट द्वारा अब तक अर्जित निवल आय को बैंकों/संस्थानों की मियादी जमा में निवेश किया गया। समूह निधि का आकार 31 मार्च 2012 को ₹ 2158.79 करोड़ था। कुल निवेश 31 मार्च 2012 को ₹ 3269.8 रहा जबकि विगत वर्ष के अंत में यह ₹ 3123.26 करोड़ था। मार्च 31, 2012 के अंत में ट्रस्ट द्वारा जारी गारंटी कवर ₹ 12114.16 रहे, इस प्रकार यथा मार्च 31, 2012 को जारी की गई कुल गारंटियों की संचयी राशि ₹ 33501.33 करोड़ रही।

13. प्रबन्धन एवं संगठन

13.1 वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ट्रस्टी बोर्ड में सिडबी के अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक को पदेन अध्यक्ष; अपर सचिव एवं विकास आयुक्त (एमएसएमई), सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार को पदेन उपाध्यक्ष; भारतीय बैंक संघ (आईबीए) के अध्यक्ष को पदेन सदस्य तथा सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी को सदस्य सचिव के रूप में शामिल किया गया। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान ट्रस्टी बोर्ड की चार बैठकों का अयोजन हुआ। मार्च 31, 2012, की स्थिति के अनुसार मुख्य कार्यपालक अधिकारी सहित आठ अधिकारी सिडबी से प्रतिनियुक्ति पर सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट में थे।

13.2 सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट का ट्रस्टी मंडल सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार; विकास आयुक्त (एमएसएमई) कार्यालय, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार; विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार; सिडबी, भारतीय रिज़र्व बैंक, आईबीए, सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की सदस्य ऋणदाता संस्थाओं, विश्व बैंक, विभिन्न राष्ट्रीय और राज्य-स्तरीय संस्थाओं और एमएसई उद्योग संगठनों से मिले समर्थन और सहयोग के लिए सराहना करता है।

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट

कृते और न्यासी मण्डल की ओर से

स्थान : मुम्बई
दिनांक : 13 सितम्बर 2012

ह./-
(एस. मुहनोत)

अनुबंध- I

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं 31 मार्च 2012 की स्थिति

सदस्य ऋणदाता संस्थानों की कुल संख्या - 128

(क) अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(i) सरकारी क्षेत्र के बैंक (20)

1. इलाहाबाद बैंक
2. आन्ध्रा बैंक
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. बैंक ऑफ इंडिया
5. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
6. केनरा बैंक
7. सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया
8. कार्पोरेशन बैंक
9. देना बैंक
10. आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
11. इंडियन बैंक
12. इंडियन ओवरसीज बैंक
13. ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स
14. पंजाब एंड सिंध बैंक
15. पंजाब नेशनल बैंक
16. सिंडिकेट बैंक
17. यूको बैंक
18. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
19. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
20. विजया बैंक

(ii) स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंक (6)

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
5. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
6. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

(iii) निजी क्षेत्र के बैंक (18)

1. ऐक्सिस बैंक लिमिटेड
2. सिटी यूनियन बैंक
3. डेवलपमेन्ट क्रेडिट बैंक लिमिटेड
4. एचडीएफसी बैंक लिमिटेड
5. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड
6. इंडसइंड बैंक लिमिटेड
7. आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड
8. कर्नाटक बैंक लिमिटेड
9. कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड
10. लक्ष्मी विलास बैंक
11. तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड
12. दि धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड
13. दि फेडरल बैंक लिमिटेड
14. दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड
15. दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
16. दि नैनीताल बैंक लिमिटेड
17. दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड
18. यस बैंक लिमिटेड

(iv) विदेशी बैंक (4)

1. बार्कलेज बैंक पीएलसी
2. बैंक ऑफ बहरीन एन्ड कुवैत
3. दायचे बैंक
4. स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक

(ख) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (71)

1 इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक
2 आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक
3 आन्ध्र प्रगति ग्रामीण बैंक
4 आर्यावर्त ग्रामीण बैंक
5 असम ग्रामीण विकास बैंक
6 बैतरणी ग्राम्य बैंक
7 बलिया इटावा ग्रामीण बैंक
8 बंगिया ग्रामीण विकास बैंक
9 बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक
10 बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक
11 बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक
12 बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
13 कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक
14 चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक
15 छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक
16 चिकमगलूर कोडागु ग्रामीण बैंक
17 डक्कन ग्रामीण बैंक
18 देना गुजरात ग्रामीण बैंक
19 दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक
20 गुड़गांव ग्रामीण बैंक
21 हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
22 हरियाणा ग्रामीण बैंक
23 हिमाचल ग्रामीण बैंक
24 जयपुर थार ग्रामीण बैंक
25 झारखंड ग्रामीण बैंक
26 जम्मू एंड कश्मीर ग्रामीण बैंक
27 कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक
28 काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक
29 कृष्णा ग्रामीण बैंक
30 लांगपी देहांगी रूरल बैंक
31 मध्य भारत ग्रामीण बैंक
32 मध्य बिहार ग्रामीण बैंक
33 महाराष्ट्र गोदावरी ग्रामीण बैंक
34 महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक
35 मालवा ग्रामीण बैंक
36 एमजीबी ग्रामीण बैंक
37 मिजोरम रूरल बैंक
38 नैनीताल - अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
39 नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक
40 नीलांचल ग्राम्य बैंक
41 नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक
42 पल्लवन ग्रामीण बैंक
43 पांड्यन ग्राम बैंक
44 पर्वतीय ग्रामीण बैंक
45 प्रगति ग्रामीण बैंक
46 प्रथमा बैंक
47 पंजाब ग्रामीण बैंक
48 पूर्वांचल ग्रामीण बैंक
49 राजस्थान ग्रामीण बैंक
50 रीवा सिद्धि ग्रामीण बैंक
51 ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक
52 समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
53 सप्तगिरि ग्रामीण बैंक
54 सर्व यूपी ग्रामीण बैंक
55 सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
56 सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक
57 शारदा ग्रामीण बैंक
58 श्रेयस ग्रामीण बैंक
59 साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक
60 सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
61 सतलुज ग्रामीण बैंक
62 त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
63 त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
64 उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक
65 उत्तरांचल ग्रामीण बैंक
66 उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
67 वनांचल ग्रामीण बैंक
68 विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
69 विदिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
70 विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक
71 वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक

(ग) ऋणदात्री संस्थाएं (9)

1 आन्ध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम

2 दिल्ली वित्त निगम

3 जम्मू एंड कश्मीर विकास वित्त निगम लिमिटेड

4 केरल वित्त निगम

5 राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड

6 पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड

7 भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक

8 दि तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड

9 भारतीय निर्यात आयात बैंक

टिप्पणी :

1 दि बैंक ऑफ राजस्थान लिमिटेड - इसका विलय आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड में हो चुका है, अतः इसे सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की सूची में से निकाल दिया गया है।

2 स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर - इसका विलय भारतीय स्टेट बैंक में हो चुका है इसलिए इसे सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं से निकाल दिया गया है।

3 स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र - इसका विलय भारतीय स्टेट बैंक में हो चुका है इसलिए इसे सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं की सूची से निकाल दिया गया है।

अनुबंध - II

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान सदस्य ऋणदात्री संस्था-वार अनुमोदित गारंटियां तथा यथा 31 मार्च 2012 तक का संचयी

क्र॰ सं॰	सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं	वित्तीय वर्ष 2012		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
1	इलाहाबाद बैंक	9485	46156.45	35501	134888.10
2	इलाहाबाद यूपी ग्रामीण बैंक	620	1543.32	1391	3566.78
3	आन्ध्रा बैंक	1251	5404.95	4212	18947.28
4	आन्ध्र प्रदेश ग्रामीण विकास बैंक	265	184.80	743	594.84
5	आन्ध्र प्रदेश राज्य वित्त निगम	2	66.30	5	153.70
6	आन्ध्र प्रगति ग्रामीण बैंक	801	625.04	1024	879.50
7	आर्यावर्त ग्रामीण बैंक	762	3150.35	1656	6919.70
8	असम ग्रामीण विकास बैंक	2145	5712.99	3922	10326.74
9	एक्सिस बैंक लिमिटेड	224	9944.32	833	31477.20
10	बैतरणी ग्राम्य बैंक	611	2176.99	1899	6739.08
11	बलिया इटावा ग्रामीण बैंक	283	69.11	283	69.11
12	बंगिया ग्रामीण विकास बैंक	893	3533.63	1051	3846.31
13	बैंक ऑफ बड़ौदा	8884	80980.54	24147	193120.53
14	बैंक ऑफ इंडिया	25516	182709.43	89944	554066.85
15	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	1852	15696.50	7318	46394.92
16	बड़ौदा गुजरात ग्रामीण बैंक	32	191.81	55	321.57
17	बड़ौदा उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	916	3166.91	1190	4372.92
18	बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	38	127.77	38	127.77
19	केनरा बैंक	11779	58943.97	60683	201674.91
20	कावेरी कल्पतरु ग्रामीण बैंक	11	66.34	21	173.98
21	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	8151	57148.53	21687	135483.75
22	चैतन्य गोदावरी ग्रामीण बैंक	0	0.00	28	49.28
23	छत्तीसगढ़ ग्रामीण बैंक	726	369.77	1042	522.38
24	चिकमगलूर कोडागु ग्रामीण बैंक	2	6.50	31	51.80
25	सिटी यूनियन बैंक	124	1714.52	144	2011.49
26	कार्पोरेशन बैंक	3593	28431.10	8257	56710.39

क्र॰ सं॰	सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं	वित्तीय वर्ष 2012		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
27	डेक्कन ग्रामीण बैंक	34	125.62	57	208.60
28	दिल्ली वित्त निगम	94	247.03	594	1319.90
29	देना बैंक	2363	13857.81	6875	36763.20
30	देना गुजरात ग्रामीण बैंक	25	63.33	29	80.65
31	ड्यूश बैंक	212	6303.00	229	6686.50
32	दुर्ग राजनंदगांव ग्रामीण बैंक	159	360.99	1336	1834.86
33	गुड़गांव ग्रामीण बैंक	193	354.23	226	446.26
34	हड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3	2.00	6	5.00
35	हरियाणा ग्रामीण बैंक	91	202.28	254	561.67
36	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	229	7352.15	995	26456.78
37	हिमाचल ग्रामीण बैंक	211	1947.64	466	4079.55
38	आईसीआईसीआइ बैंक	35	267.79	692	853.19
39	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	148	3664.21	1580	42146.67
40	इंडियन बैंक	2211	8860.00	8616	28459.49
41	इंडियन ओवरसीज बैंक	20728	117008.06	51170	218672.90
42	इंडसइंड बैंक	0	0.00	4	60.88
43	आईएनजी वैश्य बैंक लिमिटेड	16	638.00	88	2347.08
44	जयपुर थार ग्रामीण बैंक	227	56.04	1012	261.47
45	झारखंड ग्रामीण बैंक	93	488.79	126	704.72
46	कर्नाटक बैंक लिमिटेड	4525	21521.09	6471	30979.78
47	कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक	3283	7017.58	8630	17652.87
48	काशी गोमती संयुत ग्रामीण बैंक	309	808.35	550	1442.01
49	केरल वित्त निगम	9	232.85	22	532.60
50	कोटक महिन्द्रा बैंक	14	735.00	15	765.00
51	कृष्णा ग्रामीण बैंक	26	34.98	68	71.45
52	लांगपी देहांगी रूरल बैंक	151	392.60	278	661.08
53	मध्य बिहार ग्रामीण बैंक	282	772.51	296	785.41
54	एमजीबी ग्रामीण बैंक	18	29.94	68	110.75

क्र॰ सं॰	सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं	वित्तीय वर्ष 2012		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
55	मिजोरम रूरल बैंक	127	433.99	214	749.89
56	नैनीताल - अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	2	9.50	7	60.60
57	नर्मदा मालवा ग्रामीण बैंक	42	135.25	53	166.02
58	राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड	1	4.91	176	1458.57
59	नीलांचल ग्राम्य बैंक	1530	5023.69	1698	6067.95
60	पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम लिमिटेड	5	217.25	11	230.70
61	नार्थ मालाबार ग्रामीण बैंक	104	239.15	219	456.58
62	ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स	3459	39679.31	11187	109131.41
63	पांड्यन ग्राम बैंक	343	426.91	556	648.19
64	पर्वतीय ग्रामीण बैंक	142	815.10	244	1322.14
65	प्रगति ग्रामीण बैंक	6	18.07	10	22.38
66	प्रथमा बैंक	535	1810.49	2747	8477.04
67	पंजाब एंड सिंध बैंक	832	4183.70	3018	12403.79
68	पंजाब नेशनल बैंक	16751	123395.03	85660	381679.10
69	पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	4241	7055.99	12214	18929.28
70	राजस्थान ग्रामीण बैंक	55	236.40	98	406.75
71	ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक	0	0.00	9	41.86
72	समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	61	231.33	61	231.33
73	सर्व यूपी ग्रामीण बैंक	860	860.75	2228	2073.08
74	सतपुड़ा नर्मदा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	13	11.82	13	11.82
75	सौराष्ट्र ग्रामीण बैंक	82	506.99	111	676.33
76	शारदा ग्रामीण बैंक	24	70.84	24	70.84
77	श्रेयस ग्रामीण बैंक	12	29.96	71	116.30
78	भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक	758	21771.79	5006	101184.94
79	साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक	4742	7515.55	10477	15130.19
80	स्टैन्डर्ड चार्टर्ड बैंक	182	4146.53	585	12835.01
81	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर	1575	4821.62	12344	21109.22
82	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद	1001	4750.11	4382	18883.82
83	भारतीय स्टेट बैंक	48593	249240.43	153923	635571.82

क्र॰ सं॰	सदस्य ऋणदात्री संस्थाएं	वित्तीय वर्ष 2012		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
84	स्टेट बैंक ऑफ मैसूर	2437	12834.70	6169	34923.24
85	स्टेट बैंक ऑफ पटियाला	1891	12032.60	4555	31298.47
86	स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर	2576	10720.45	12891	42009.48
87	सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	13	101.66	13	101.66
88	सतलुज ग्रामीण बैंक	3	4.25	13	7.00
89	सिंडिकेट बैंक	8560	46656.22	21403	110419.81
90	तमिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लिमिटेड	206	3300.07	361	3851.03
91	दि धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	8	298.46	13	458.77
92	दि फेडरल बैंक लिमिटेड	610	4992.72	3255	17966.05
93	दि जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	523	1751.38	1602	2546.21
94	दि करूर वैश्य बैंक लिमिटेड	13	450.49	17	530.83
95	दि नैनीताल बैंक लिमिटेड	38	347.76	94	1043.04
96	दि साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	3	18.31	13	33.77
97	दि तमिलनाडु औद्योगिक निवेश निगम लिमिटेड	878	1679.57	2717	5000.64
98	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	117	207.53	274	750.34
99	त्रिवेणी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0	0.00	4	45.35
100	यूको बैंक	7257	24424.57	18875	54395.10
101	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8732	32709.47	27182	100298.94
102	यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	7860	36153.80	22651	90961.87
103	उत्तरांचल ग्रामीण बैंक	43	201.78	499	2372.77
104	उत्तरबंगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	212	322.66	673	864.64
105	विदर्भ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	138	336.59	199	414.39
106	विजया बैंक	870	6550.03	3226	20927.38
107	विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक	7	7.47	50	106.86
108	वैनगंगा कृष्णा ग्रामीण बैंक	218	1877.30	225	1930.74
109	यस बैंक लिमिटेड	35	1310.00	51	2084.50
	कुल	**243981**	**1378398.11**	**792229**	**3713931.03**

अनुबंध - III

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान राज्य-वार अनुमोदित गारंटियां तथा यथा 31 मार्च 2012 तक का संचयी

क्र॰ सं॰	राज्य का नाम	वित्तीय वर्ष 2012		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
1	अंडमान और निकोबार	207	826.56	590	2067.86
2	आन्ध्र प्रदेश	9030	57398.33	29104	140804.05
3	अरुणाचल प्रदेश	574	2709.85	1306	5422.55
4	असम	12070	41580.12	28893	89581.65
5	बिहार	14560	61122.03	33278	124169.68
6	चंडीगढ	309	3021.04	2150	11970.84
7	छत्तीसगढ़	3538	18799.54	9171	47082.30
8	दादरा और नगर हवेली	40	858.91	128	3032.74
9	दमन और दीव	33	1027.88	131	2846.06
10	दिल्ली	2842	35594.93	7362	94897.09
11	गोवा	2409	20715.25	5998	43354.84
12	गुजरात	12712	118764.18	39874	332760.74
13	हरियाणा	2351	25042.81	10757	76790.22
14	हिमाचल प्रदेश	5311	32475.95	17695	101629.88
15	जम्मू और कश्मीर	2457	9920.97	6694	21454.31
16	झारखंड	10477	67266.08	27549	163803.00
17	कर्नाटक	24624	121224.43	63403	313672.20
18	केरला	22832	56364.64	75830	174190.93
19	लक्षद्वीप	18	35.72	67	130.38
20	मध्यप्रदेश	6308	40809.74	24278	119721.03
21	महाराष्ट्र	13910	143155.22	43385	369527.31
22	मणिपुर	394	1705.85	688	2365.39
23	मेघालय	1074	5766.33	2873	12043.48
24	मिजोरम	361	1558.21	885	2870.24
25	नागालैन्ड	534	2328.69	989	4131.02
26	उड़ीसा	14420	65460.29	44554	176336.50
27	पांडिचेरी	634	2561.15	1203	5082.64
28	पंजाब	4632	35379.07	15741	105320.84
29	राजस्थान	7068	44367.04	35542	128262.08
30	सिक्किम	128	676.02	535	2336.16
31	तमिलनाडु	14865	100202.73	65177	289849.88
32	त्रिपुरा	1836	6778.04	3614	11875.91
33	उत्तर प्रदेश	30556	146606.20	110817	398281.98
34	उत्तराखंड	3576	19176.57	9862	52857.73
35	पश्चिम बंगाल	17291	87117.74	72106	283407.52
	कुल	**243981**	**1378398.11**	**792229**	**3713931.03**

अनुबंध - IV

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान क्षेत्र-वार अनुमोदित गारंटियां तथा यथा 31 मार्च 2012 तक का संचयी

क्र॰ सं॰	क्षेत्र का नाम	वित्तीय वर्ष 2012		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
1	मूल धातु उद्योग	579	6765.35	2898	23146.71
2	पेय, तम्बाकू आदि	243	3146.16	853	8665.89
3	रसायन आदि	569	9818.55	2410	33719.44
4	सूती वस्त्र	1704	19356.99	7819	51649.86
5	बिजली की मशीनें	708	9091.66	3260	34711.01
6	खाद्य उत्पाद	9064	56958.06	29876	157513.12
7	सूचना प्रौद्योगिकी	221	1914.71	2067	9580.16
8	जूट वस्त्र	210	1092.43	898	3677.23
9	चर्म और लोमश उत्पाद	1202	7202.35	4996	21093.34
10	धातु उत्पाद	4495	42657.72	24453	131928.55
11	गैर-बिजली वाली मशीनरी, औजार और कल-पुर्जे	577	8868.96	2065	27119.28
12	अधात्विक उत्पाद	721	8905.84	3317	29067.29
13	अन्य विनिर्माण	175263	916757.96	565671	2508071.23
14	कागज और मुद्रण	1220	15066.07	4893	48937.02
15	मरम्मत सेवाएं	36	48.76	958	645.06
16	पूंजीगत माल के अलावा मरम्मत सेवाएं	172	1162.98	826	4493.72
17	पूंजीगत माल के लिए मरम्मत सेवाएं	226	1294.09	912	4327.59
18	रबर, पेट्रोलियम आदि	282	4883.03	1123	14393.58
19	सेवा (उद्योग संबद्ध)	34797	174091.99	89474	376555.77
20	सॉफ्टवेयर	275	4555.81	1111	13143.88
21	वस्त्र उत्पाद	7527	65435.24	27029	186723.03
22	परिवहन उपस्कर	309	4324.62	1080	12744.09
23	लकड़ी का फर्नीचर	2727	12113.13	11090	3344.02
24	ऊन, रेशम आदि	854	2885.65	3150	8680.16
	कुल	**243981**	**1378398.11**	**792229**	**3713931.03**

अनुबंध - V

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई)

वित्तीय वर्ष 2012 के दौरान स्लैब-वार गारंटी अनुमोदित तथा यथा 31 मार्च 2012 तक का संचयी

क्र॰ सं॰	दायरा	वित्तीय वर्ष 2012		संचयी	
		प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)	प्रस्ताव	अनुमोदित राशि (₹ लाख)
1	100,000/- तक	58574	32743.76	295924	148856.23
2	100,001 से 200,000/-	66148	96950.16	170591	251516.68
3	200,001 से 500,000/-	62331	223995.63	169314	600860.3
4	500,001 से 10,00,000/-	25471	198622.66	71959	568047.62
5	10,00001 से 25,00000/-	22653	380308.12	62057	1038437.98
6	25,00,001 से 50,00,000/-	5938	226558.01	15854	604182.86
7	50,00,001 से 100,00,000/-	2866	219219.77	6530	502029.36
	कुल	**243981**	**1378398.11**	**792229**	**3713931.03**

खातों का विवरण

2011-2012

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

प्रति,
न्यासी मंडल
सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
मुम्बई

हमने मार्च 31, 2012 की यथास्थिति अनुसार सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट के संलग्न तुलनपत्र और उसके साथ संलग्न इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय और व्यय खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण दोनों की लेखापरीक्षा की है;

ये वित्तीय विवरण प्रबन्धन का दायित्व हैं। हमारा दायित्व यही है कि हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों के बारे में अभिमत व्यक्त किया जाए। हमने अपनी लेखापरीक्षा भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम अपनी लेखापरीक्षा की योजना और निष्पादन समुचित सुनिश्चितता प्राप्त करने के लिए करे कि ये वित्तीय विवरण किसी भी गंभीर कमी से मुक्त हैं या नहीं। लेखापरीक्षा में परीक्षण के आधार पर जांच, वित्तीय विवरणों में घोषणाओं और धनराशियों के समर्थन में साक्ष्यों को शामिल किया जाता है। लेखापरीक्षा में प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत लेखांकन सिद्धांतों और किए गए महत्वपूर्ण अनुमानों के आकलन के साथ-साथ समग्र वित्तीय प्रस्तुति का मूल्यांकन भी शामिल होता है। हमारा विश्वास है कि हमारी लेखापरीक्षा युक्तिसंगत आधार प्रस्तुत करती है।

हम सूचित करते हैं कि :

क) हमने वे सभी जरूरी सूचना और स्पष्टीकरण प्राप्त किए जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार हमारी इस लेखापरीक्षा के प्रयोजन से आवश्यक थे;

ख) हमारा अभिमत है कि खाताबहियों की हमने जो जांच की उससे यही प्रतीत होता है कि ट्रस्ट ने कानूनन अपेक्षित समुचित खाताबहियों का रख रखाव किया है;

ग) इस रिपोर्ट में जिस तुलनपत्र, आय और व्यय खाते तथा नकदी प्रवाह विवरण का उल्लेख है वह खाताबहियों क अनुरूप है; और

घ) हमारे अभिमत और हमारी सर्वोत्तम जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार उक्त लेखो और इनके साथ पठित इनके बारे में हमारी टिप्पणियां निम्नलिखित के बारे में सत्य और उचित परिणाम प्रस्तुत करती हैं:

i. तुलनपत्र के मामले में 31 मार्च 2012 को ट्रस्ट के कामकाज के बारे में;

ii. आय और व्यय खाते के मामले में इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ट्रस्ट के अधिशेष के बारे में; और

iii. नकदी प्रवाह विवरण के मामले में इसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए ट्रस्ट के नकदी प्रवाह के बारे में।

कृते डी. सी. बोथरा एन्ड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
(आईसीएआई फर्म रजि. सं.112257W)

स्थान : मुम्बई
दिनांक : सितम्बर 13, 2012

(पवन बोथरा, एम. सं. 31215)
पार्टनर

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
31 मार्च 2012 की स्थिति का तुलनपत्र

विवरण	अनुसूचिया	31.03.2012 को		31.03.2011 को	
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
निधियों का स्रोत					
समूह निधि	1		30,727,083,536		29,383,924,443
सिडबी से प्राप्त अग्रिम (समूह निधि के लिए)			9,750,000		-
चालू देयताएं और प्रावधान	2		6,170,590,836		4,017,541,532
कुल			**36,907,424,372**		**33,401,465,975**
निधियो का अनुप्रयोग					
स्थिर आस्तियाँ					
कम्प्यूटर		1,674,451		1,295,339	
घटाएं: मूल्यह्रास		1,673,873	578	1,295,296	43
फर्नीचर और फिक्सचर		7,500		-	
घटाएं: मूल्यह्रास		7,499	1	-	-
बिजली की मदें		21,551		43,102	
घटाएं: मूल्यह्रास		10,776	10,775	21,551	21,551
			11,354		**21,594**
निवेश	3		32,698,096,989		31,232,681,816
चालू आस्तियाँ					
रोकड़ शेष			2,214		304
बैंक में शेष राशि	4		46,186,292		37,065,848
उपचित आय	5		2,808,356,965		772,455,185
पूर्वदत्त और व्ययों के लिए अग्रिम	6		57,849		196,689
कर प्राधिकरणों से वापसी योग्य रकम	7		1,354,712,709		1,359,044,539
कुल			**36,907,424,372**		**33,401,465,975**
खातों से संबद्ध टिप्पणियां	9				

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते डी. सी. बोथरा एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 112257W

(पवन बोथरा, M.No. 31215)
पार्टनर

स्थान : मुम्बई
दिनांक : सितम्बर 13, 2012

उक्त तुलनपत्र और इसके साथ प्रस्तुत सभी अनुसूचियां हम एतदद्वारा सत्यापित करते हैं

न्यासी मण्डल की ओर से

(एस. मुहनोत)
अध्यक्ष

(अमरेन्द्र सिन्हा)
उपाध्यक्ष

(यू. आर. टाटा)
सदस्य सचिव

आय और व्यय

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी निधि ट्रस्ट
31 मार्च 2012 को आय और व्यय खाता

विवरण	अनुसूचिया	राशि (₹ में)	
		वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
आय			
निवेश पर ब्याज		3,094,259,270	2,179,903,925
गारंटी शुल्क		1,651,692,377	1,460,029,169
वार्षिक सेवा शुल्क		973,420,131	399,604,593
विविध प्राप्तियां		34,008	227,790
दंडात्मक ब्याज से आय		28,466	505
भुगतान किए गए दावों पर एमएलआई से वसूलियां		42,274,702	30,898,215
स्थिर आस्तियों के विक्रय से लाभ		-	11,994
		5,761,708,954	**4,070,676,191**
व्यय			
परिचालन और अन्य प्रशासनिक व्यय	8	52,066,597	57,204,733
गारंटी दावों के लिए प्रावधान		2,820,000,000	600,000,000
ब्याज और बैंक प्रभार		3,040	5,524
मूल्यह्रास		1,692,148	1,316,847
		2,873,761,785	658,527,104
व्यय की तुलना में आय का आधिक्य		**2,887,947,169**	**3,412,149,087**
जोड़ें/(घटाएं) : पूर्ववर्ती अवधि की मदें		(458,075)	(3,067,888)
कर से पूर्व अधिशेष		**2,887,489,094**	**3,409,081,199**
घटाएं: आयकर हेतु प्रावधान		1,556,830,000	1,054,740,000
घटाएं: पूर्ववर्ती वर्ष के लिए टैक्स हेतु प्रावधान			662,998
व्यय की तुलना में आय के अधिशेष को समूह निधि में शामिल किया गया		**1,330,659,094**	**2,353,678,201**
खातों से संबद्ध टिप्पणियां	9		

हमारी समदिनांकित रिपोर्ट के अनुसार

कृते डी. सी. बोथरा एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 112257W

(पवन बोथरा, M.No. 31215)
पार्टनर

स्थान : मुम्बई
दिनांक : सितम्बर 13, 2012

उक्त आय और व्यय खाते तथा इससे संलग्न अनुसूचियों का हम सत्यापन करते हैं।

न्यासी मण्डल की ओर से

(एस. मुहनोत)
अध्यक्ष

(अमरेन्द्र सिन्हा)
उपाध्यक्ष

(यू. आर. टाटा)
सदस्य सचिव

अनुसूची

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु तुलनपत्र के निर्धारक भाग की अनुसूचियां

विवरण	31.03.2012 को (₹)	31.03.2011 को (₹)
अनुसूची : 1		
समूह निधि		
निम्नलिखित से प्राप्त		
भारत सरकार	17,262,533,000	17,252,533,000
सिडबी	4,315,633,250	4,313,133,250
(सिडबी से आरएसएफ के लिए प्राप्त रु.25,00,00,000/-की निधि सहित)		
(क)	**21,578,166,250**	**21,565,666,250**
व्यय की तुलना में आय का अधिक्य		
आगे लाया गया राशि शेष	7,818,258,193	5,464,579,993
जोड़ें : वर्तमान वर्ष का अतिशेष	1,330,659,094	2,353,678,201
(ख)	**9,148,917,286**	**7,818,258,193**
(क + ख)	**30,727,083,536**	**29,383,924,443**
अनुसूची : 2		
चालू देयताएं और प्रावधान		
गारंटी दावों के लिए प्रावधान (अनुसूची 9 की टिप्पणी 8 भी देखिए)	6,142,075,898	3,991,996,899
व्यय के प्रति बकाया देयताएं	4,475,442	3,148,007
सिडबी को प्रतिपूर्ति योग्य धनराशि	2,687,768	3,508,031
चेक पुराने हो जाने के कारण अदावाकृत देयताएं	1,813,720	1,618,940
देय टीडीएस	412,941	353,220
एलआईसी से प्राप्त बीमा दावे	200,000	200,000
लौटाई जाने योग्य गारंटी फीस	113,943	128,186
लौटाई जाने योग्य वार्षिक सेवा फीस	-	49,205
डीसी (हस्तशिल्प), भारत सरकार से जीएफ व एएसएफ के लिए प्राप्त अग्रिम	18,811,124	16,539,044
	6,170,590,836	**4,017,541,532**
अनुसूची : 3		
निवेश		
1) बैंकों में मियादी जमा में निवेश		
i) आरएसएफ निधियों में निवेश	250,000,000	250,000,000
ii) डीसी (हस्तशिल्प), भारत सरकार से प्राप्त अग्रिम का निवेश	18,750,000	16,500,000
iii) मूलनिधि और अन्य निधियों का निवेश	32,429,346,989	30,713,081,816
2) डीआईएस के तहत आईडीबीआई में निवेश	-	253,100,000
	32,698,096,989	**31,232,681,816**
अनुसूची : 4		
बैंक में जमाशेष		
चालू खाते में		
आईडीबीआई बैंक लि.	46,125,168	37,026,804
आईडीबीआई बैंक लि. - डीसी (हस्तशिल्प), भारत सरकार	61,124	39,044
	46,186,292	**37,065,848**

अनुसूची

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु तुलनपत्र के निर्धारक भाग की अनुसूचियां

विवरण		31.03.2012 को (₹)	31.03.2011 को (₹)
अनुसूची : 5			
उपचित आय			
टीडीएस घटाकर निवेशों पर ब्याज		2,808,356,965	772,455,185
		2,808,356,965	**772,455,185**
अनुसूची : 6			
प्राप्य धनराशियां			
पूर्वदत्त व्यय		38,947	-
एमएलआई से वसूली योग्य धनराशि		18,902	53,110
व्यय के लिए अग्रिम		-	143,579
		57,849	**196,689**
अनुसूची : 7			
कर प्राधिकरणों से प्राप्त होने वाली धनराशि			
वापसी योग्य आयकर 31/3/07		523,218,921	523,218,921
वापसी योग्य आयकर 31/3/08		611,302,943	611,302,943
वापसी योग्य आयकर 31/3/09		171,003,176	-
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31/3/09		-	861,366,758
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31/3/10		1,112,762,901	1,112,762,901
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31/3/11		1,106,904,094	1,106,904,094
अग्रिम कर, भुगतान किया गया टीडीएस 31/3/12		1,552,498,170	-
वापसी योग्य अनुलाभ कर		355,502	355,502
	(क)	**5,078,045,707**	**4,215,911,119**
घटाएं: टैक्स हेतु प्रावधान 31/03/09		-	690,363,582
टैक्स हेतु प्रावधान 31/03/10		1,111,762,998	1,111,762,998
टैक्स हेतु प्रावधान 31/03/11		1,054,740,000	1,054,740,000
टैक्स हेतु प्रावधान 31/03/12		1,556,830,000	-
	(ख)	3,723,332,998	2,856,866,580
कर प्राधिकरणों से वसूली योग्य राशियां	**(क)-(ख) =**	**1,354,712,709**	**1,359,044,539**

अनुसूची

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
आय और व्यय के निर्धारण भाग की अनुसूचियां - 31 मार्च 2012 को समाप्त वर्ष हेतु

विवरण	वर्तमान वर्ष (₹)	विगत वर्ष (₹)
अनुसूची : 8		
परिचालन और अन्य प्रशासनिक व्यय		
10वां स्थापना दिवस व्यय	-	1,804,358
एसीएसआईसी व्यय	7,214,784	2,395,093
विज्ञापन और प्रचार व्यय	6,820,417	17,882,973
लेखापरीक्षक को पारिश्रमिक	280,900	220,600
बोर्ड बैठक पर व्यय	101,080	22,203
आवागमन और वाहन पर व्यय	1,967,575	1,990,597
कूरियर/डाक प्राीार	331,497	331,493
मनोरंजन व्यय	77,639	41,351
बीमा प्राीार	34,783	57,692
आंतरिक लेखापरीक्षकों को पारिश्रमिक	168,450	165,450
आईटी सेवा	3,884,178	3,882,963
सदस्यता शुल्क	112,983	100,000
विविध व्यय	129,793	95,035
कार्यालय व्यय	1,097,049	827,028
कार्यालय का किराया	7,613,586	7,336,000
कार्मिकों पर लागत और व्यय	17,577,592	13,877,033
मुद्रण और लेखनसामग्री	508,440	533,325
व्यावसायिक फीस	1,287,173	650,681
सेमिनार और बैठकों पर व्यय	93,978	1,579,691
टेलिफोन पर व्यय	464,037	389,793
यात्रा व्यय	2,300,663	3,021,375
	52,066,597	**57,204,734**

लेखा टिप्पणियाँ

सूक्ष्म एवं लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट
तुलनपत्र और आय तथा व्यय खाते का अंश तैयार करने की अनुसूची

अनुसूची: 9 : -

खातों पर टिप्पणियां :

1. महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां

क) लेखांकन परिपाटियां

ऐतिहासिक लेखांकन के साथ-साथ सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए इन वित्तीय विवरणों को तैयार किया गया है।

ख) आय और व्यय का निर्धारण

इस ट्रस्ट द्वारा गारंटी शुल्क और वार्षिक सेवा शुल्क के मामले में नकदी आधार का लेखांकन और निवेश से आय के लिए उपचय/ मर्केन्टाइल आधार का अनुसरण किया जाता है। मियादी जमा पर उपचित ब्याज की संगणना चक्रवृद्धि तरीके से यथाअनुमेय तिमाही/वार्षिक आधारों पर की जाती है।

ग) स्थिर आस्तियाँ

स्थिर आस्तियाँ को लागत में से मूल्यह्रास करने के बाद दर्शाया गया है। कॅम्प्यूटर, फर्नीचर और फिक्सचर पर 100 प्रतिशत और बिजली के उपकरणों पर 50 प्रतिशत की दर से मूल्यह्रास किया गया है।

घ) निवेश

निवेशों को लागत पर दर्शाया गया है। जोखिम शेयरिंग निधि से संबंधित निवेशों और विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), भारत सरकार के कार्यालय से प्राप्त निधि को तुलनपत्र में अलग से दर्शाया गया है।

ठ.) पूर्ववर्ती अवधि का समायोजन

पूर्ववर्ती/विगत वर्षों से संबंधित व्यय और आय को पूर्ववर्ती अवधि की मदों के तौर पर हिसाब में लिया गया है।

च) सेवानिवृत्ति लाभ

इस ट्रस्ट में प्रतिनियुक्ति पर आए अपने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के लाभ सिडबी प्रदान करता है और प्रतिपूर्ति के आधार पर इसे आय-खाते में वार्षिक आधार पर प्रभारित किया जाता है।

2. ट्रस्ट को संचयी आधार पर 31 मार्च 2012 तक 39 सदस्य ऋणदात्री संस्थानों से 13242 (गत वर्ष 8209) दावा-आवेदन प्राप्त हुए। ट्रस्ट ने प्रथम किस्त के रूप में 7131 पात्र-दावों (गत वर्ष 5237) के लिए 180.07 करोड़ रुपये का निपटान किया (गत वर्ष 112.11 करोड़ रुपये)। सदस्य ऋणदात्री संस्थानों ने 190 आवेदन वापस लिए। प्रतिभूति के बारे में विवरण/उपदान रकम के बारे में मांगी गई अतिरिक्त जानकारी प्राप्त नहीं हुई और इसलिए दावों को अस्थायी तौर पर बन्द कर दिया गया। मार्च 31, 2012 की यथास्थिति के अनुसार 4741 (गत वर्ष 1577) आवेदन लंबित थे/अतिरिक्त जानकारी की अपेक्षा में अस्थायी तौर पर बन्द कर दिए गए।

3.

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.12 यथा	31.03.11 यथा
गारंटी अनुमोदन	37,139.31	23,846.01
जारी की गई गारंटी	33,481.64	21,157.00
स्वीकृत गारंटी, प्रवर्तन बकाया रहा	3,657.67	2,689.01

रोके गए दावों के समग्र प्रावधानों के लिए दी गई/स्वीकृत गारंटी हेतु ट्रस्ट की आकस्मिक रूप से देयता होती है, जो कि एमएसई, जिनके संरक्षण के लिए ऐसी गारंटी दी गई/स्वीकृत की गई, द्वारा गैर-निष्पादन के कारण होती हैं।

4. ट्रस्ट अपने लिए कार्यालय परिसर, स्टाफ और आईटी सेवा की सुविधाओं को सिडबी से प्राप्त करता है। सिडबी और ट्रस्ट के बीच 4 अक्तूबर 2001 को हुए समझौता ज्ञापन के अनुसार ट्रस्ट की ओर से सिडबी द्वारा प्रशासनिक व्यय, किए गए व्यय के लिए ट्रस्ट 20 प्रतिशत की दर से सेवा शुल्क का भुगतान करता है, जो कि जुलाई 2009 तक सीधे ही ट्रस्ट के कार्यों के लिए किए जाते थे। हालांकि आपस में मिलकर किए गए निर्णय के अनुसार अगस्त 2009 से इसे समाप्त कर दिया गया।

5. ट्रस्ट पहली बार तो निपटाए गए दावे के 75 प्रतिशत का भुगतान करता है, शेष राशि का भुगतान सदस्य ऋणदाता संस्थाओं द्वारा निर्धारित कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद किया जाता है। केवल 57 मामलों में (गत वर्ष 27 मामले) बाद में किये जाने वाले 25 प्रतिशत का भुगतान किया गया। हालांकि अन्य मामलों में सदस्य ऋणदात्री संस्थाओं द्वारा कानूनी अपेक्षाओं का अनुपालन अभी किया जाना है, जिससे वे शेष रकम को प्राप्त करने के पात्र बनती हैं।

6. लेखापरीक्षक का पारिश्रमिक ₹ 2,80,900/- (गत वर्ष ₹ 2,20,600/-)

(₹ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
लेखापरीक्षा फीस	2,00,000	1,50,000
टैक्स ऑडिट फीस	50,000	50,000
सेवा कर	30,900	20,600
कुल	**2,80,900**	**2,20,600**

7. कराधान

आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए करों के लिए प्रावधान किया जाता है। दिनांक 07-12-11 के अपने आदेश के माध्यम से डीआईटी (छूट), मुम्बई ने इस ट्रस्ट को धारा 12 ए के तहत प्रदान पंजीकरण निर्धारण वर्ष 2009-10 से वापस ले लिया। इससे ट्रस्ट की कर-स्थिति में परिवर्तन हुआ और इस साल के बाद अर्जित समस्त आय कारोबार से होने वाली आय के रूप में कर-योग्य हो गई। इसके अलावा कर-विभाग की ऑडिट विंग ने इस पंजीकरण को वापस लेने के आधार पर मूल्यांकन वर्ष 2007-08 और 2008-09 की संचित आय पर भी कर लगाने का मुद्दा उडाया, जिसकी राशि 249 करोड़ रुपये होती है। ट्रस्ट को सूचित किया गया कि इस प्रकार की कार्रवाई से किसी प्रकार की प्रत्यक्ष कर-देयता नहीं होती जब तक कि कानून की समस्त प्रतिक्रियाएं पूरी नहीं हो जाती है और ऐसी मांग के प्रति आपत्ति दर्ज करने के लिए ट्रस्ट को पर्याप्त अवसर दिया गया है। इस स्थिति में इस प्रकार की किसी भी स्थितिपरक देयता के लिए खातों में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

8. ट्रस्ट ने बीमांकक की रिपोर्ट प्राप्त की है जिसमें दी गई बकाया गारंटियों की देयता के बारे में अनुमान दिए गए हैं। बीमांकक ने ऐसे दावों के लिए प्रावधानों का मूल्यांकन किया है और दायर किए गए दावों तथा जारी गारंटियों के बीच अपवर्ती समीकरण को प्रयोग किया गया है। मार्च 31, 2012 को बकाया गारंटी राशियों पर बीमांकक की रिपोर्ट में बताए गए प्रावधानों की राशि ₹ 215 करोड़ है। ऐसे दावों के लिए प्रावधान का विवरण निम्नानुसार है:

(₹ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
1 अप्रैल को आंरभिक राशि शेष	3,99,19,96,899	3,99,16,16,617
घटाएं : वर्ष के दौरान भुगतान किए गए दावे	66,99,21,001	59,96,19,718
जोड़ें : वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	2,82,00,00,000	60,00,00,000
31 मार्च को अंतिम शेष	6,14,20,75,898	3,99,19,96,899

9. विदेशी मुद्रा में व्यय का विवरण (वास्तविक आधार पर)

(₹ में)

विवरण	वर्तमान वर्ष	विगत वर्ष
सहभागिता शुल्क	12,101	81,070
यात्रा और अन्य	6,87,065	7,15,016

10. जहां भी आवश्यक हुआ है, विगत वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहित, पुनर्वर्गीकृत और पुनः व्यवस्थित किया गया है।

कृते डी. सी. बोथरा एंड कम्पनी
चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट
आईसीएआई फर्म पंजीकरण सं. 112257W

न्यासी मण्डल की ओर से

(पवन बोथरा, एम. सं. 31215)
पार्टनर

(एस. मुहनोत)
अध्यक्ष

स्थान : मुम्बई
दिनांक : सितम्बर 13, 2012

(अमरेन्द्र सिन्हा)
उपाध्यक्ष

(यू. आर. टाटा)
सदस्य सचिव

Annual Report
2011 - 2012

A small body of determined
spirits fired by an unquenchable
faith in their mission can
alter the course of history.

Mahatma Gandhi

Letter of Transmittal

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises
MSME Development Centre, 7th Floor,
C-11/G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), **Mumbai-400051.**

October 5, 2012

To

The Additional Secretary & Development Commissioner (MSME)
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises,
Government of India
Office of the Development Commissioner (MSME)
Nirman Bhavan, 7th Floor, "A" Wing
Maulana Azad Road, **New Delhi – 110108**

The Chairman and Managing Director
Small Industries Development Bank of India
Head Office, SIDBI Tower, 15, Ashok Marg
Lucknow-226001

Dear Sir,

In terms of Clause 14.2 of the Declaration of Trust executed by the Government of India and Small Industries Development Bank of India, the Settlors, I forward herewith the following documents :

(i) A copy of audited accounts of the Trust for the financial year ended March 31, 2012 together with Auditors' Report, and

(ii) A copy of the report on the working of Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises for the period ended March 31, 2012

Yours faithfully,

Sd/-
(U.R. Tata)

Mumbai

Chairman's Message

> Over the past 12 years, CGTMSE has been ably serving India's MSEs through the Credit Guarantee Scheme by providing guarantee cover to collateral and third party guarantee free credit facilities sanctioned by Member Lending Institutions (MLIs) to eligible MSEs. CGTMSE has extended guarantees for loans aggregating to over ₹ 37,000 crore covering approximately 8 lakh MSEs as on March 31, 2012. CGTMSE is well placed to meet the challenges of the future.

The role of micro, small and medium enterprises (MSMEs) in the economic and social development of our country is well established. The MSME sector is a nursery of entrepreneurship, often driven by individual creativity and innovation. Thus, MSMEs are important for the national objectives of growth with equity and inclusion. The MSME sector contributes about 9 per cent of the country's GDP, 45 per cent of the manufactured output and 40 per cent of its exports. The MSMEs provide employment to over 60 million persons through more than 26 million enterprises with a lower labour to capital ratio. The overall growth in the MSME sector has been much higher than in the large industries over the last five years.

Although Indian MSMEs are a bedrock for innovation and despite being a diverse and heterogeneous group they face some common challenges with regard to access to institutional credit, collateral requirements, equity capital, etc. It was against this background that the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) was established with the objective of guaranteeing collateral and third party guarantee free credit facilities so as to enable enhanced flow of credit to the MSE sector in India.

Over the past 12 years, CGTMSE has been ably serving India's MSEs through the Credit Guarantee Scheme by providing guarantee cover to collateral and third party guarantee free credit facilities sanctioned by Member Lending Institutions (MLIs) to eligible MSEs. CGTMSE has extended guarantees for loans aggregating to over ₹ 37,000 crore covering approximately 8 lakh MSEs as on March 31, 2012. CGTMSE is well placed to meet the challenges of the future.

It is heartening to note that the positive impact that CGTMSE has had on credit flow to the MSE Sector has been recognised by the Government and the credit guarantee framework in the country is poised for expansion with the announcement of setting up of Credit Guarantee Funds for housing, educational loans and skill development by the Hon'ble Finance Minister during the budget speech in Parliament.

I take this opportunity to thank the Government of India, Reserve Bank of India, Small Industries Development Bank of India, all Member Lending Institutions, MSE Entrepreneurs and other national and international partner agencies for their support and co-operation. I am sure that with the active support of all stakeholders, CGTMSE would continue to excel by achieving higher performance parameters. I would also like to compliment team CGTMSE for their hardwork and dedication.

With regards,

Mumbai
13 September, 2012

Sd/-
(S. Muhnot)

CEO's Message

"The progress of guarantee coverage under CGS has picked up during the past few years and the operations under CGS continued to grow in amount terms during FY2012, with a total of 2,43,981 guarantees for an amount of ₹ 13,783.98 crore being approved during the financial year. Cumulatively, as at March 31, 2012, a total of 7,92,229 accounts have been accorded guarantee approval for ₹ 37,139.31 crore and the number of MLIs availing the guarantee cover has gone up to 128 MLIs. The Credit Guarantee Scheme has been successful to a large extent in encouraging collateral free lending to MSEs."

To catalyse flow of bank credit to Micro and Small Enterprises, especially first generation entrepreneurs for setting up their MSE units without the hassles of collateral security and / or third party guarantee, the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) was set up by the Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises (MSME), Government of India (GOI) and Small Industries Development Bank of India (SIDBI) in August 2000. CGTMSE operates the "Credit Guarantee Scheme" (CGS) which provides guarantees to Member Lending Institutions (MLIs) for credit facilities upto ₹ 100 lakh extended by them to Micro and Small Enterprises (MSEs) which are not backed by collateral security and / or third party guarantee.

The progress of guarantee coverage under CGS has picked up during the past few years and the operations under CGS continued to grow in amount terms during FY2012, with a total of 2,43,981 guarantees for an amount of ₹ 13,783.98 crore being approved during the financial year. Cumulatively, as at March 31, 2012, a total of 7,92,229 accounts have been accorded guarantee approval for ₹ 37,139.31 crore and the number of MLIs availing the guarantee cover has gone up to 128 MLIs. The Credit Guarantee Scheme has been successful to a large extent in encouraging collateral free lending to MSEs.

CGTMSE had the privilege of hosting the 24th Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) Conference during October 31 – November 04, 2011 in Goa, India with "Emerging Challenges in ensuring long term sustainability of Credit Guarantee Organisations" as the theme of the Conference. The Confederation has 16 Credit Guarantee Organisations from 11 countries across Asia as its members. This is the first time that CGTMSE and India hosted the ACSIC Conference. The hosting of the 24th ACSIC Conference was an initiative with a view to adopt global best practises in credit guarantee organisations and was a prestigious event for CGTMSE.

With the active support of the Government of India, RBI, SIDBI, Member Lending Institutions and other stakeholders, CGTMSE is committed to facilitate collateral free credit to the MSE sector across the country and work diligently towards achievement of the goals of financial inclusion.

With regards,

Mumbai
13 September, 2012

Sd/-
(U.R. Tata)

Board of Trustees of CGTMSE (As on 13 September, 2012)

Shri S. Muhnot, Chairman (Ex-officio)
Chairman & Managing Director,
Small Industries Development Bank of India,
Head Office: "SIDBI Tower",
15 Ashok Marg, Lucknow 226001.

Shri Amarendra Sinha, I.A.S. Vice Chairman (Ex-officio)
Addl. Secretary & Development Commissioner (MSME)
Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises,
Government of India
A Wing, 7th Floor, Nirman Bhavan,
Maulana Azad Road, New Delhi 110108

Shri Alok Kumar Misra, Member (Ex-officio)
Chairman, Indian Banks' Association and
Chairman and Managing Director
Bank of India,
Star House, C-5, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai-400051

Shri U.R. Tata, Member Secretary (Ex-officio)
Chief Executive Officer
Credit Guarantee Fund Trust for Micro
and Small Enterprises (CGTMSE)
7th Floor, MSME Development Centre,
C-11, G Block, Bandra Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai 400051

MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES PERFORMANCE AND OUTLOOK

The world economy recovered from the 2008 crisis by registering a growth of 3.9% in 2011, as against negative 0.6% in 2009. Improved activity in the United States & other developed economies during the second half of 2011 reduced the threat of a sharp global meltdown. However, due to persistent global economic slowdown in Europe, economic growth is projected to drop further from about 3.9% in 2011 to about 3.5% in 2012, as per World Economic Outlook report, published by International Monetary Fund in April 2012.

The Indian economy is poised to grow by 6.5 % in FY 2011-12, after having grown at the rate of 8.4 % in each of the two preceding years. While agriculture and industry sectors decelerated to 2.8% and 3.4%, respectively, the services sector maintained the tempo of growth at 8.9% during FY 2011-12.

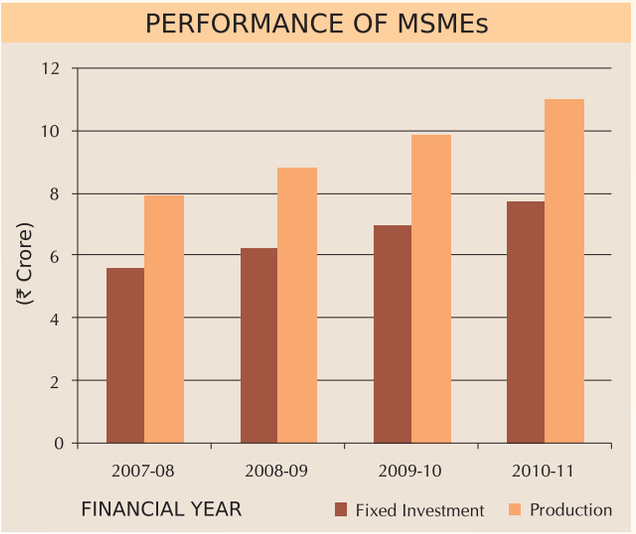

Micro, Small and Medium Enterprises Sector

The Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) sector is a pivotal pillar of the Indian economy by way for creating employment opportunities for about 60 million persons through 26 million units, manufacturing more than 6,000 products, contributing about 45% to manufacturing output and about 40% to exports, directly and indirectly. As per the latest available data, the MSME sector production registered a higher growth of 11.5% in FY 2010-11 than that of industrial sector at 10.4% and overall economic growth at 7.4% (Table 1.1).

Table 1.1: Performance of MSMEs

Year	Total MSMEs (in lakh Nos)	Fixed Investment (₹ crore)	Production (₹ crore) (Current price)	Employment (lakh persons)
2007-08	272.79 (4.51)	5,58,190 (11.47)	7,90,759 (11.47)	626.34 (5.34)
2008-09	285.16 (4.53)	6,21,753 (11.39)	8,80,805 (11.39)	659.35 (5.35)
2009-10	298.08 (4.53)	6,93,835 (11.59)	9,82,919 (11.59)	695.38 (5.47)
2010-11	311.52 (4.51)	7,73,487 (11.48)	10,95,758 (11.48)	732.17 (5.29)

Note: The figures in brackets show the percentage growth over the previous year.
Source: Annual Report FY 2011-12, Ministry of MSME, Govt. of India

Table 1.2 : Deployment of Gross Bank Credit by SCBs (₹ billion)

Sector	Outstanding as on			Variation (Y-oY)	
	March 26, 2010	March 25, 2011	March 23, 2012	2010-11 %	2011-12 %
Non-food Credit	30400.1	36673.5	42897.4	20.6	17.0
Priority Sector	10921.8	12393.9	13991.0	13.5	12.9
Micro & Small Enterprises	3735.3	4550.0	5189.7	21.8	14.1
Of Which					
Manufacturing	2064.0	2291.0	2591.9	11.0	13.1
Services	1671.3	2258.9	2597.8	35.2	15.0
MSE as % to Priority Sector	34.2	36.7	37.1	NA	NA
MSE as % to Non food Credit	12.3	12.4	12.1	NA	NA

NA: Not available, Source : Sectoral deployment of bank credit data by RBI

Credit Flow to Micro and Small Enterprises Sector by Scheduled Commercial Banks

As per the Reserve Bank of India, the outstanding credit to the Micro and Small Enterprises (MSE) sector by Scheduled Commercial Banks (SCBs) registered a growth of 14.1% during FY 2011-12, i.e. from ₹ 4,550 billion as at end March 2011 to ₹ 5,190 billion as at end March 2012 (Table 1.2).

The figures on sectoral deployment of bank credit released by RBI reveals that the credit outstanding to manufacturing units under MSME sector registered a growth of 13% in FY 2011-12 (11% in FY 2010-11). At the same time, credit to MSME sector services units registered a lower growth of 15% (35.2% in FY 2010-11).

Deployment of Gross Bank Credit by SCBs

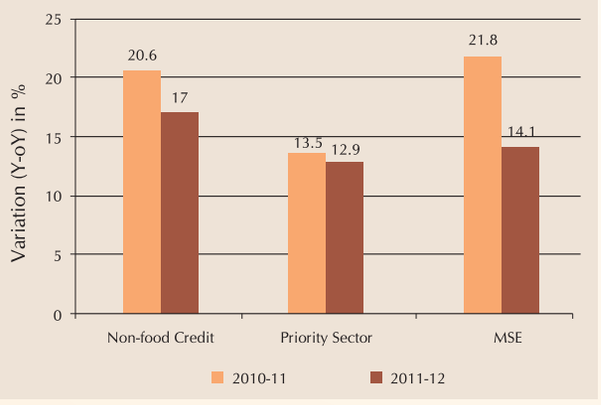

Policy Environment

Union Budget 2011-12

- Targeted Tax-free bonds for financing infrastructure projects were raised to ₹ 60,000 crore in 2012-13. This includes ₹ 5,000 crore earmarked for SIDBI.
- To enhance availability of equity to MSME sector, ₹ 5,000 crore India Opportunities Venture Fund would be set up with SIDBI.
- With the objective of promoting market access of MSEs, the Government has approved a policy which requires ministries and Central Public Sector Enterprises to make a minimum of 20 % of their annual purchases from MSEs. Of this, 4% will be earmarked for procurement from MSEs owned by Schedule Caste/Schedule Tribe entrepreneurs.
- The turnover limit for compulsory tax audit of accounts as well as for presumptive taxation would be raised from ₹ 60 lakh to ₹ 1 crore for Small & Medium Enterprises.
- In order to augment funds for SMEs, capital gains tax on sale of a residential property would be exempt, if the sale consideration is used for subscription in the equity of a manufacturing

SME company for purchase of new plant and machinery.

- Considering the shortage of skilled manpower in the manufacturing sector and to generate employment, weighted deduction at the rate of 150% of expenditure incurred on skill development in manufacturing sector in accordance with specified guidelines would be provided.
- In order to have a better outreach and to provide more flexibility to suit local needs, it was decided that a new centrally sponsored scheme titled "National Mission on Food Processing" would be started, in cooperation with the State Governments in 2012-13.
- In order to improve the flow of institutional credit for skill development, a Credit Guarantee Fund would be set up. This will benefit youth in acquiring market oriented skills.

Highlights of Annual Supplement 2012-13 to Foreign Trade Policy 2009 -14

- Two per cent Interest Subvention Scheme which was available only to handlooms, handicrafts, carpets and SMEs would now also be extended to labour intensive sectors, viz. toys, sports goods, processed agricultural products, ready-made garments, etc. and would be available till March 31, 2013.
- For continued technological upgradation of export sectors, the Zero Duty Export Promotion Capital Goods Scheme has now been extended up to March 31, 2013.
- The scope of Zero Duty EPCG Scheme has been enlarged and it would henceforth be available to units that are availing the benefits of Technology Up-gradation Fund Scheme (TUFS). The additional Zero Duty EPCG authorisation can be availed for another line of business by the same applicant. Further, if it is the same line of business, Zero Duty EPCG Scheme could still be availed if the benefits of TUFS already availed are surrendered/refunded with applicable interest.
- The benefit of Zero Duty EPCG Scheme was not available to such applicants who had availed benefit of Status Holder Incentive Scrip (SHIS) till March 31, 2012. It was decided that if such SHIS benefit already availed was surrendered subsequently with applicable interest to the Regional Authority (RA) concerned, then the benefit of Zero Duty EPCG Scheme would be extended.
- Introduction of a new Post-Export EPCG Scheme: Exporters, if they choose to, may import capital goods on payment of duty in cash and subsequently receive duty credit scrip on completion of export obligation. Thus, there would be no duty remission / duty exemption at the time of import of Capital Good (CG). Since the duties have been paid upfront at the time of import of CG, the export obligation would be 85% of normal export obligation. On the basis of export performance, a Duty Credit Scrip will be issued subsequently by RA, in proportion to export obligation so fixed. This would obviate the monitoring and reporting requirements, as the scheme would be self-monitored. Reduced transaction cost coupled with comparatively reduced export obligation would make this scheme attractive.
- Under the EPCG Scheme at present, the condition of maintenance of average level of exports is not applicable to some sectors, viz. handicrafts, handlooms, cottage sector, tiny sector, agriculture, aquaculture (including fisheries), horticulture, pisciculture, viticulture, poultry and sericulture. Three new sectors are being added to this list, viz., carpet, coir and jute. This would provide substantial relief to these labour intensive industries, which find it difficult to maintain the average export obligation.
- To promote manufacturing activity and employment in the North Eastern Region (NER) of the country, export obligation under the EPCG Scheme shall be 25% of the normal export obligation. This would be applicable to the states of Arunachal Pradesh, Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Tripura, and Sikkim.

- To promote exports of 16 identified green technology products, export obligation for manufacturing of these products, under the EPCG Scheme, is being reduced to 75% of the normal export obligation.
- Status holders are issued Status Holders Incentive Scrip (SHIS) to import capital goods for promoting investment in up-gradation of technology of some specified labour intensive sectors like leather, textile & jute, handicrafts, engineering, plastics and basic chemicals. It is now decided that up to 10% of the value of these scrips will be allowed to be utilized to import components and spares of capital goods imported earlier.
- Export of handicraft items and export of hand-made woollen carpets including other floor coverings like woolen durries, druggets, gabbas, namdhas and shaggy shall not be allowed on the basis of "Delivery against Acceptance (DA)" terms, unless they are covered by a bank guarantee or ECGC guarantee. This would significantly protect the business and financial interests of small exporters.
- Exporters will be henceforth permitted to give single revolving bank guarantee for different transactions.
- At present duty free import of embellishments is allowed against exports of handloom made-ups, cotton made-ups and polyester made-ups. This facility will now be extended to the export of synthetic made-ups.

Economic Outlook

The economies round the globe are expected to exhibit a positive outlook in 2013, expected to register a growth of 4.1% as against 3.5% in 2012. The growth will be led by the economies of USA, China, Japan and Middle East and North Africa (MENA) countries. Similarly, the Indian economy is poised on a recovery trajectory with expected higher growth momentum in FY 2012-13.

The MSME sector, which has been registering higher growth than the industrial sector and overall economy, will continue to maintain the growth tempo with the required necessary policy support.

Report of CGTMSE

Report on the working of the Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises for year ended March 31, 2012

INTRODUCTION

1. Corpus Fund of CGTMSE

1.1 The corpus of the Trust is contributed by the Government of India (GoI) and Small Industries Development Bank of India (SIDBI) in the ratio of 4:1. The committed corpus of the Trust is ₹ 2,500 crore to be contributed by GoI (₹ 2,000 crore) and SIDBI (₹ 500 crore). During FY 2012, the Trust received ₹ 2.23 crore towards corpus of which GOI contributed ₹ 1 crore while SIDBI provided ₹ 1.23 crore to the corpus taking the aggregate amount of individual contributions to ₹ 1726.25 crore and ₹ 432.54 crore respectively. As at March 31, 2012, the total corpus of the Trust was ₹ 2158.79 crore which formed 86.35% of the committed corpus. The details of year-wise corpus contribution is given in the following table:

Corpus Contribution (₹ Crore)			
FY	**GOI**	**SIDBI**	**Total**
2001	100.00	25.00	125.00
2002	100.00	25.00	125.00
2003	141.62	35.40	177.02
2004	192.00	51.84	243.84
2005	211.63	49.07	260.70
2006	200.00	50.00	250.00
2007	124.00	33.00	157.00
2008	198.00	47.50	245.50
2009	122.10	34.00	156.10
2010	135.91	30.50	166.41
2011	200.00	50.00	250.00
2012	1.00	1.23	2.23
Total	**1726.25**	**432.54**	**2158.79**

1.2 The balance contribution of ₹ 341.21 crore is due from GoI and SIDBI. With the sharp increase in the guarantee approvals, it is felt that the corpus would have to be suitably augmented in due course. Necessary action in this regard has already been initiated.

CGTMSE CORPUS

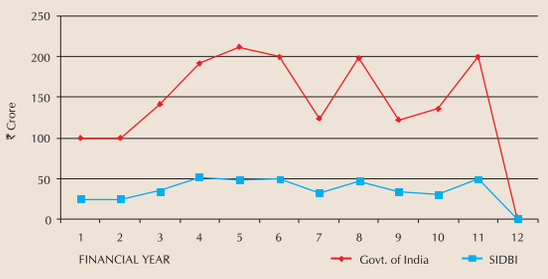

2. Member Lending Institutions (MLIs)

4 new Member Lending Institutions (MLIs) were registered with the Trust during FY 2012 taking the overall number of eligible lending institutions to 128 as at March 31, 2012 **(Annexure-I)**. Currently, 26 Public Sector Banks, 18 Private Sector Banks, 4 Foreign Banks, 71 Regional Rural Banks (RRBs), 9 other Financial Institutions are eligible for guarantee cover from the Trust. The 4 new institutions added are Jammu Kashmir Gramin Bank, Maharashtra Gramin Bank, Baroda Rajasthan Gramin Bank and Vananchal Gramin Bank. Further, during the year some of the MLIs ceased to exist due to their merger with other banks/MLIs. The Bank of Rajasthan Ltd. has merged with ICICI Bank Ltd. and State Bank of Indore has merged with State Bank of India.

COMPOSITION OF MLIs

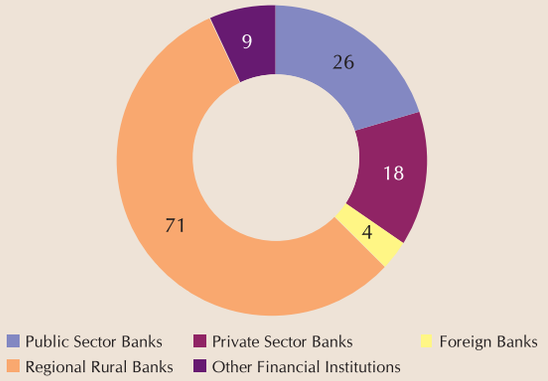

3. Operations under CGS

3.1 As at end of March 31, 2012, there were 109 MLIs which were availing guarantee cover as against 106 MLIs during the previous financial year. Table below gives the details of year-wise guarantee approvals from inception till March 31, 2012:

3.2 The operations under CGS continued to grow except for a marginal decrease of 3.94% in number terms during FY2012. From only 9 active MLIs in FY 2000-01, the number of MLIs availing the guarantee cover has gone up to 109 active MLIs as on March 31, 2012. During FY 2011-2012, a total of 2,43,981 guarantees have been approved for an amount of ₹ 13,783.98 crore. Cumulatively, as at March 31, 2012, a total of 7,92,229 accounts have been accorded guarantee approval for ₹ 37,139.31 crore.

MLI-wise Coverage

3.3 MLI-wise guarantee coverage for FY 2012 and cumulative as on March 31, 2012 are given **Annexure-II.** During the year, the top five MLIs in terms of number of proposals covered under

Year	No. of Active MLIs	No. of Credit Facilities Approved	Amount of Guarantees Approved (₹ Crore)	Cumulative Guarantees Approved (₹ Crore)	Average Size (₹ Lakh)
FY 2000-01	9	951	6.06	6.06	0.63
FY 2001-02	16	2296	29.52	35.58	1.28
FY 2002-03	22	4955	58.67	94.25	1.18
FY 2003-04	29	6603	117.60	211.85	1.78
FY 2004-05	32	8451	267.46	538.62	3.16
FY 2005-06	36	16284	461.91	1000.53	2.83
FY 2006-07	40	27457	704.53	1705.06	2.56
FY 2007-08	47	30285	1055.84	2701.59	3.48
FY 2008-09	57	53708	2199.40	4824.34	4.09
FY 2009-10	85	151387	6875.11	11559.61	4.54
FY 2010-11	106	254000	12589.22	23846.01	4.95
FY 2011-12	109	243981	13783.98	37139.31	5.65
Cumulative as on 31.03.2012		**792229**		**37139.31**	**4.69**

* Actual may vary due to intervening cancellations / modifications.

NO. OF CREDIT FACILITIES APPROVED

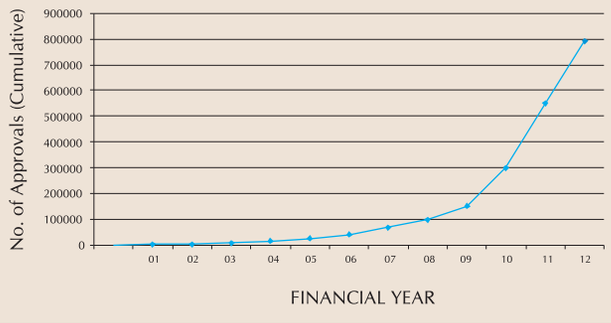

AMOUNT OF APPROVALS (CUMULATIVE)

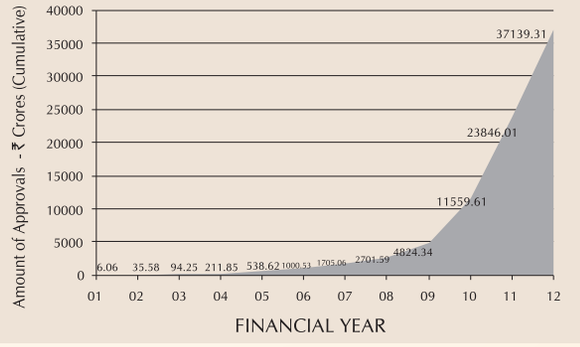

Credit Guarantee Scheme were State Bank of India (48,593 proposals for ₹ 2,492.40 crore), Bank of India (25,516 proposals for ₹ 1,827.09 crore), Indian Overseas Bank (20,728 proposals for ₹ 1,170.08 crore), Punjab National Bank (16,751 proposals for ₹ 1,233.95 crore) and Canara Bank (11,779 proposals for ₹ 589.43 crore).

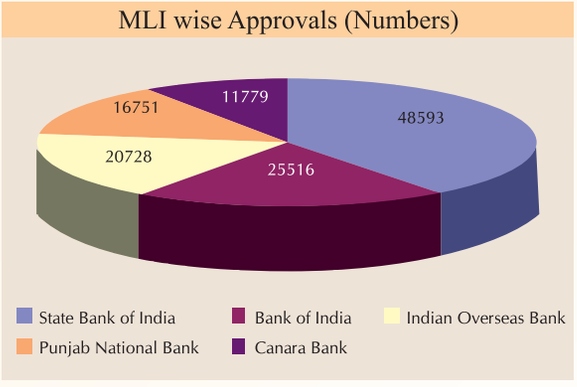

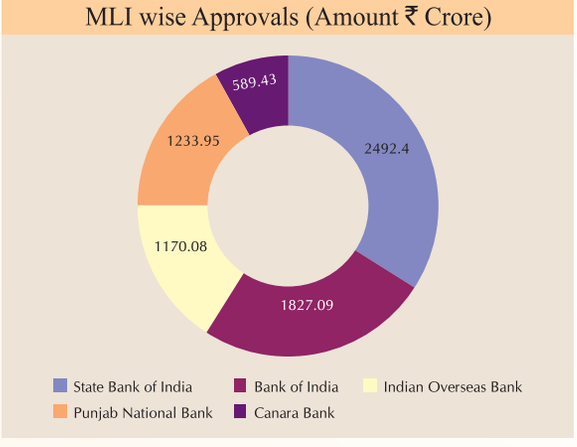

3.4 Cumulatively, as on March 31, 2012, State Bank of India has the highest coverage of 1,53,923 proposals for ₹ 6,355.71 crore, followed by Bank of India (89,944 proposals for ₹ 5,540.66 crore), Punjab National Bank (85,660 proposals for ₹ 3,816.79 crore), Canara Bank (60,683 proposals for ₹ 2,016.74 crore) and Indian Overseas Bank (51,170 proposals for ₹ 2,186.72 crore).

State-wise Coverage

3.5 State-wise guarantee coverage for FY 2012 and cumulative as on March 31, 2012 are given **Annexure-III.** Among the states, Uttar Pradesh lodged the maximum number of applications (30,556 proposals for ₹ 1,466.06 crore) during FY 2011-12, followed by Karnataka (24,624 proposals for ₹ 1,212.24 crore), Kerala (22,832 proposals for ₹ 563.64 crore), West Bengal (17,291 proposals for ₹ 871.17 crore) and Tamilnadu (14,865 proposals for ₹ 1,002.02 crore).

3.6 The cumulative state-wise coverage under Credit Guarantee Scheme as at March 31, 2012 indicates that Uttar Pradesh has the highest share of proposals approved at 1,10,817 proposals for ₹ 3,982.81 crore, followed by Kerala (75,830 proposals for ₹ 1,741.90 crore), West Bengal (72,106 proposals for ₹ 2,834.07 crore), Tamil Nadu (65,177 proposals for ₹ 2,898.49 crore) and Karnataka (63,403 proposals for ₹ 3,136.72 crore).

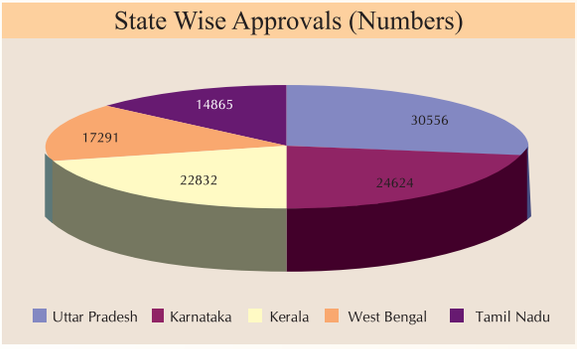

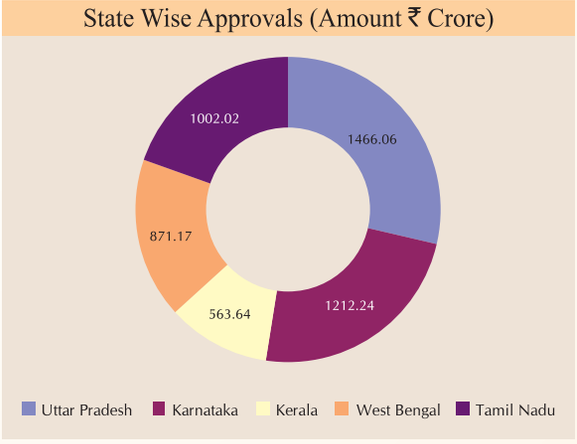

Industry-wise Coverage

3.7 Sector wise analysis of the cases guaranteed (cumulative & during FY 2012) is given at **Annexure-IV.**

Slab-wise Coverage

3.8 The data on slab-wise coverage (cumulative & during FY 2012) under CGS as at March 31, 2012, is given at **Annexure-V.** The majority of proposals approved during FY 2012 were in

respect of smaller loans. 1,87,053 proposals for ₹ 3,536.89 crore was in respect of loans up to ₹ 5 lakh accounting for 76.66% of the total guarantees approved in FY 2012. Of the 2,43,981 proposals for ₹ 13,783.98 crore approved in FY 2012, 58,574 proposals (24.00%) pertained to category having credit component up to ₹ 1 lakh; 66,148 proposals (27.11%) having credit component in the range of ₹.1,00,001 to ₹ 2 lakh; 62,331 proposals (25.54%) in the range of ₹ 2,00,001 to ₹ 5 lakh; 25,471 proposals (10.43%) in the range of ₹ 5,00,001 to ₹ 10 lakh; 22,653 proposals (9.28%) in the range of ₹ 10,00,001 to ₹ 25 lakh; 5,938 proposals (2.43%) in the range of ₹ 25,00,001 to ₹ 50 lakh; and 2,866 proposals (1.17%) in the above ₹ 50 lakh to ₹ 100 lakh category.

Average size of loans covered

3.9 If the year-wise growth in average size of loans covered under the scheme since inception is seen, it would indicate a growth trend. From ₹ 0.63 lakh in FY 2001, it went up to ₹ 4.96 lakh in FY 2011 and ₹ 5.65 lakh in FY 2012 with the overall average being ₹ 4.69 lakh.

Claims Settlement

3.10 During the FY 2011-12 i.e. April 01, 2011 to March 31, 2012, 5033 applications for an amount ₹ 231.59 crore have been received for invocation of guarantee and settlement of claims against the defaulting borrowers against which guarantees have been issued by CGTMSE and the guarantee is in force. Out of the applications lodged, claims in respect of 1894 units have already been settled for the first installment aggregating ₹ 66.99 crore, claims in respect of 201 units have been rejected for ₹ 4.43 crore and claims in respect of 37 units have been withdrawn for ₹ 1.30 crore.

4. Advance funds from Office of Development Commissioner (Handicrafts), [DC,(HC)], Ministry of Textiles, Government of India

DC (HC) had placed advance funds of ₹ 2.80 crore with CGTMSE for meeting the guarantee fee and annual service fee for loans extended by MLIs to artisans in the handicraft sector. DC(HC) has also committed for placing ₹ 3 crore every year for the next three years for the same purpose. As on March 31, 2012, CGTMSE had utilized ₹ 1.74 crore out of the ₹ 2.80 crore placed.

5. Advance funds from Office of Development Commissioner (Handlooms), [DC,(HL)], Ministry of Textiles, Government of India

Development Commissioner (Handlooms) have also placed advance funds of ₹ 82.50 lakh during the FY 2011-12 for meeting the guarantee fee and annual service fee for loans extended by MLIs to the weavers in handloom sector. The above amount of ₹ 82.50 lakh includes a sum of ₹ 26.25 lakh received from Ministry of Textiles, Government of India on December 23, 2011 for enabling guarantee cover for handloom weavers of mega clusters of Varanasi and Murshidabad. The Trust has entered into arrangement with DC (Handlooms) similar to the one with DC (Handicrafts) as it would facilitate increase in coverage of such loans. The Trust has since modified the present software so as to operationalize the arrangement.

6. Business Development Initiatives

CGTMSE has adopted multi-channel approach for creating awareness of the CGS amongst banks, MSE industry associations, MSE sector, etc. through print and press media, conducting workshops / seminars, attending the programmes organized at various district / state / national fora, etc. During the year, CGTMSE participated in various seminars / workshops organized by MLIs and Industry Associations, exhibitions and meetings organized by RBI / Govt. in connection with MSE sector, across the country to create awareness about CGS. Special emphasis was laid on awareness creation and enhancement of coverage in under-served areas like Jammu and Kashmir, North Eastern Region and amongst women entrepreneurs. CGTMSE officials also held business development meetings with its Member Lending Institutions. Sustained print media campaigns were carried out across the country throughout the year to improve visibility and create awareness about the scheme. Information dissemination campaigns were vigorously carried out amongst various stakeholders.

During FY 2012, CGTMSE participated in 585 Seminars/ Workshops/ Bankers' meet/ Business

Development Meetings, and also made presentations to sensitize bank officials/ small enterprises on the various aspects of the Credit Guarantee Scheme. The workshops were generally arranged by the member banks / SIDBI / CGTMSE/ Industry Associations, etc.

7. Overall impact of CGS operations

CGTMSE's operations had a positive impact on the economy in terms of turnover, exports and employment of credit guaranteed MSEs is given in the Table :

	As on 31/03/2012	As on 31/03/2011
Cumulative Guarantees approved	7,92,229	5,51,740
Loan Amount (extended by MLIs) (₹ crore)	37,139.31	23,846.01
Estimated turnover of guaranteed units (₹ crore)	255314.49	148314.37
Estimated exports by guaranteed units (₹ crore)	4219.98	3149.43
Estimated employment generation (No.- lakh)	39.95	32.13
Number of MLIs	128	126

N.B.: Actuals may vary due to intervening cancellations / modifications. Data with regard to turnover, exports and employment generation are as reported by MLIs.

8. 24th Asian Credit Supplementation Institution Confederation (ACSIC) Conference

CGTMSE hosted the 24th ACSIC Conference during October 31 – November 04, 2011 in Goa, India. The conference was inaugurated by Shri Amarendra Sinha I.A.S. Addl. Secretary and Development Commissioner (MSME), on November 1, 2011, at Hotel Taj Exotica, Goa, India. Besides, Shri S. Muhnot, CMD, Shri N.K. Maini DMD, SIDBI, 83 officials of 14 guarantee organizations from 11 countries participated in the conference and exchanged their views on Emerging Challenges in ensuring long term sustainability of Credit Guarantee Organisations.

9. Auditors

9.1 M/s. Ray & Ray, Mumbai, a firm of Chartered Accountants, has been appointed as internal auditors of CGTMSE, for the FY 2011-12. The Auditors have undertaken a comprehensive review of the entire computer systems as also financial audit covering revenue expenses, investment and revenue income.

9.2 As recommended by the Comptroller and Auditor General of India, the Board appointed M/s. D.C. Bothra & Co., Mumbai, a firm of Chartered Accountants, as Statutory Auditors of CGTMSE for the FY 2011-12.

10. Tax Exemption to CGTMSE

As per the provisions of the Finance Bill introduced by the then Hon'ble Finance Minister on February 28, 2002 and passed by the Parliament, under sub-section 23EB U/S 10 of Income Tax Act, 1961, the income of CGTMSE was exempted from tax payment for a period of 5 years commencing from the Financial Year 2001-02 (Assessment Year 2002-03). The tax exemption came to an end in FY 2005-06 and has not been extended for the future period. However, as the objects of the Trust can be considered as 'object of general public utility' within the meaning of the expression "charitable purpose" under section 2 (15) of the Income Tax Act, 1961, the claim of exemption u/s.11 (for charitable Trusts) and assessing total income of the Trust for Assessment Years (AY) 2007-08 and 2008-09 at ₹ Nil was accepted by the Tax Authority. Consequently, the Trust has filed for refund of ₹ 113.45 crore income tax paid (for A.Y. 2007-08 and 2008-09) with the Income Tax Department of which ₹ 100.78 crore has been received till date and the balance is awaited. The matter is being continuously followed up.

The Finance Act, 2008 has amended / substituted Section 2(15) of the Act to limit the scope of the phrase "advancement of any other object of public utility" from A. Y. 2009-10. As per the said amendment, if the activity

of the trust involves carrying on of any activity in the nature of trade, commerce or business for a fee or cess or any other consideration, it shall not be covered under the definition of "charitable purpose" u/s 2(15) of the Act. In view of the above amendment to Section 2(15) of the Act, the Director of Income Tax (Exemptions), passed an order u/s 12AA(3) of the Act dated December 7, 2011 withdrawing / cancelling the Registration of the Trust. CGTMSE has filed appeal against the order of Director of Income Tax (Exemptions) before the Income Tax Appellate Tribunal, Mumbai. During the FY 2011-12, the Trust has deposited advance tax of ₹ 124.50 crore.

11. Accounts

During FY 2011-12, the Trust earned income of ₹ 571.93 crore, comprising mainly Guarantee Fee (₹ 165.17 crore), Annual Service Fee (₹ 97.34 crore), interest earned on investments (₹ 309.42 crore). Trust had incurred ₹ 5.20 crore towards various operational and administrative expenditure mainly comprising, staff salaries and allowances (₹ 1.28 crore), advertising and publicity expenses (₹ 0.68 crore), rent for office premises (₹ 0.76 crore), web-hosting, IT services and other related charges for computer and software expenditure (₹ 0.39 crore) and other office expenses. The excess of income over expenditure was ₹ 415.07 crore, gross of provisions, after payment of taxes. Yearly provisioning is being made on the basis of actuarial valuation of liability of the Trust since FY 2009. The provision for claims has been evaluated by an Actuary by evolving regression equation between claims received and guarantees issued. Earlier, the provisioning was based on policy approved by the Board of Trustees (BoT) of CGTMSE. The details of the provision for FY 2011-12 are given below :

Particulars	Amount (₹ in Crore)
Opening balance as on April 01, 2011	399.20
Less: Claim paid during the year	66.99
Add: Provision made during the year	282.00
Closing Balance as on March 31, 2012	614.21

As at March 31, 2012 the cumulative provision is estimated at ₹ .614.21 crore.

12. Corpus, Investment and guarantees issued

During the year, the Trust received corpus contribution from its settlors to the extent of ₹ 2.23 crore. This, together with the corpus contributions already received, and the net income earned by the Trust so far, had been invested in FDs of banks / institutions. The size of the corpus of the fund as on March 31, 2012 stood at ₹ 2158.79 crore. The total investment as at March 31, 2012 stood at ₹ 3269.8 crore as against ₹ 3123.26 crore as at the end of the previous year. During the year ended March 31, 2012, guarantee cover issued by the Trust was for ₹ 12114.16 crore taking the cumulative guarantees issued amounting to ₹ 33501.33 crore as on March 31, 2012.

13. Management & Organisation

13.1 The Board of Trustees during FY 2011-12 comprised of Chairman & Managing Director of SIDBI as ex-officio Chairman, Additional Secretary & Development Commissioner (MSME), Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Government of India as ex-officio Vice-Chairman, Chairman Indian Banks' Association (IBA) as ex-officio member and Chief Executive Officer of CGTMSE as Member Secretary. During FY 2011-12, four meetings of the Board of Trustees were held. As on March 31, 2012, eight officers including the CEO were on deputation with CGTMSE from SIDBI.

13.2 The Board of Trustees of CGTMSE appreciates the support and cooperation received from Ministry of MSME, Government of India, Office of DC (MSME), Ministry of MSME, Government of India, Office of DC (Handicrafts), Ministry of Textiles, Government of India, SIDBI, RBI, IBA, MLIs of CGTMSE, World Bank, various National and State-level institutions and MSE Industry Associations.

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises

Place: Mumbai
Date: September 13, 2012

For and on behalf of the Board of Trustees

Sd/-
(S. Muhnot)

ANNEXURE - I

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises (CGTMSE) Member Lending Institutions (MLIs) of CGTMSE as on March 31, 2012 Total No of MLIs- 128

(A) SCHEDULED COMMERCIAL BANKS

(i) PUBLIC SECTOR BANKS (20 nos.)

1. Allahabad Bank
2. Andhra Bank
3. Bank of Baroda
4. Bank of India
5. Bank of Maharashtra
6. Canara Bank
7. Central Bank of India
8. Corporation Bank
9. Dena Bank
10. IDBI Bank Limited
11. Indian Bank
12. Indian Overseas Bank
13. Oriental Bank of Commerce
14. Punjab & Sind Bank
15. Punjab National Bank
16. Syndicate Bank
17. UCO Bank
18. Union Bank of India
19. United Bank of India
20. Vijaya Bank

(ii) SBI AND ITS ASSOCIATE BANKS (6 nos.)

1. State Bank of India
2. State Bank of Bikaner & Jaipur
3. State Bank of Hyderabad
4. State Bank of Mysore
5. State Bank of Patiala
6. State Bank of Travancore

(iii) PRIVATE SECTOR BANKS (18 nos.)

1. Axis Bank Ltd.
2. City Union Bank.
3. Development Credit Bank Ltd.
4. HDFC Bank Ltd.
5. ICICI Bank Ltd.
6. IndusInd Bank Ltd.
7. ING Vysya Bank Ltd.
8. Karnataka Bank Ltd.
9. Kotak Mahindra Bank Ltd.
10. Lakshmi Vilas Bank
11. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
12. The Dhanalakshmi Bank Ltd.
13. The Federal Bank Ltd.
14. The Jammu & Kashmir Bank Ltd.
15. The Karur Vysya Bank Ltd
16. The Nainital Bank Ltd.
17. The South Indian Bank Ltd.
18. YES Bank Limited

(iv) FOREIGN BANKS (4 nos.)

1. Barclays Bank PLC
2. Bank of Bahrain and Kuwait
3. Deutsche Bank
4. Standard Chartered Bank

(B) REGIONAL RURAL BANKS (71 nos.)

1	Allahabad UP Gramin Bank	37	Mizoram Rural Bank
2	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	38	Nainital – Almora Kshetriya Gramin Bank
3	Andhra Pragathi Grameena Bank	39	Narmada Malwa Gramin Bank
4	Aryavart Gramin Bank	40	Neelachal Gramya Bank
5	Assam Gramin Vikash Bank	41	North Malabar Gramin Bank
6	Baitarani Gramya Bank	42	Pallavan Gramin Bank
7	Ballia Etawah Gramin Bank	43	Pandyan Grama Bank
8	Bangiya Gramin Vikash Bank	44	Parvatiya Gramin Bank
9	Baroda Gujarat Gramin Bank	45	Pragathi Gramin Bank
10	Baroda Rajasthan Gramin Bank	46	Prathama Bank
11	Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank	47	Punjab Gramin Bank
12	Bihar Kshetriya Gramin Bank	48	Purvanchal Gramin Bank
13	Cauvery Kalpatharu Grameena Bank	49	Rajasthan Gramin Bank
14	Chaitanya Godavari Grameena Bank	50	Rewa Siddhi Gramin Bank
15	Chattisgarh Gramin Bank	51	Rushikulya Gramya Bank
16	Chikmagalur-Kodagu Gramin Bank	52	Samastipur Kshetriya Gramin Bank
17	Deccan Gramin Bank	53	Saptagiri Grameena Bank
18	Dena Gujarat Gramin Bank	54	Sarva UP Gramin Bank
19	Durg Rajnandgaon Gramin Bank	55	Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank
20	Gurgaon Gramin Bank	56	Saurashtra Gramin Bank
21	Hadoti Kshetriya Gramin Bank	57	Sharda Gramin Bank
22	Haryana Gramin Bank	58	Shreyas Gramin Bank
23	Himachal Gramin Bank	59	South Malabar Gramin Bank
24	Jaipur Thar Gramin Bank	60	Surguja Kshetriya Gramin Bank
25	Jharkhand Gramin Bank	61	Sutlej Gramin Bank (SGB)
26	Jammu & Kashmir Gramin Bank	62	Tripura Gramin Bank
27	Karnataka Vikas Grameena Bank	63	Triveni Kshetriya Gramin Bank
28	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	64	Uttar Bihar Gramin Bank
29	Krishna Grameena Bank	65	Uttaranchal Gramin Bank
30	Langpi Dehangi Rural Bank	66	Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank
31	Madhya Bharat Gramin Bank	67	Vananchal Gramin Bank
32	Madhya Bihar Gramin Bank	68	Vidharbha Kshetriya Gramin Bank
33	Maharashtra Godavari Gramin Bank	69	Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank
34	Maharashtra Gramin Bank	70	Visveshvaraya Grameena Bank
35	Malwa Gramin Bank	71	Wainganga Krishna Gramin Bank
36	MGB Gramin Bank		

(C) LENDING INSTITUTIONS (9 nos.)

1 Andhra Pradesh State Financial Corporation

2 Delhi Financial Corporation

3 Jammu & Kashmir Development Finance Corporation Ltd

4 Kerala Financial Corporation

5 National Small Industries Corporation Ltd.

6 North Eastern Development Finance Corporation Ltd.

7 Small Industries Development Bank of India

8 The Tamil Nadu Industrial Investment Corporation Ltd.

9 Export Import Bank of India

NOTE:

1. The Bank of Rajasthan Ltd. - Since merged with ICICI Bank Ltd, hence excluded from the list of MLIs
2. State Bank of Indore - Since merged with State Bank of India it has been excluded from the list of MLIs.
3. State Bank of Saurashtra - Since merged with State Bank of India it has been excluded from the list of MLIs.

ANNEXURE - II

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises
MLI-wise Guarantees approved during FY 2012 & Cumulative as on 31 March, 2012

S No.	MLI	Financial Year 2012		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
1	Allahabad Bank	9485	46156.45	35501	134888.10
2	Allahabad UP Gramin Bank	620	1543.32	1391	3566.78
3	Andhra Bank	1251	5404.95	4212	18947.28
4	Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank	265	184.80	743	594.84
5	Andhra Pradesh State Financial Corporation	2	66.30	5	153.70
6	Andhra Pragathi Grameena Bank	801	625.04	1024	879.50
7	Aryavart Gramin Bank	762	3150.35	1656	6919.70
8	Assam Gramin Vikash Bank	2145	5712.99	3922	10326.74
9	Axis Bank Limited	224	9944.32	833	31477.20
10	Baitarani Gramya Bank	611	2176.99	1899	6739.08
11	Ballia Etawah Gramin Bank	283	69.11	283	69.11
12	Bangiya Gramin Vikash Bank	893	3533.63	1051	3846.31
13	Bank of Baroda	8884	80980.54	24147	193120.53
14	Bank of India	25516	182709.43	89944	554066.85
15	Bank of Maharashtra	1852	15696.50	7318	46394.92
16	Baroda Gujarat Gramin Bank	32	191.81	55	321.57
17	Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank	916	3166.91	1190	4372.92
18	Bihar Kshetriya Gramin Bank	38	127.77	38	127.77
19	Canara Bank	11779	58943.97	60683	201674.91
20	Cauvery Kalpataru Grameena Bank	11	66.34	21	173.98
21	Central Bank of India	8151	57148.53	21687	135483.75
22	Chaitanya Godavari Grammena Bank	0	0.00	28	49.28
23	Chattisgarh Gramin Bank	726	369.77	1042	522.38
24	Chikmagalur-Kodagu Grameena Bank	2	6.50	31	51.80
25	City Union Bank	124	1714.52	144	2011.49
26	Corporation Bank	3593	28431.10	8257	56710.39
27	Deccan Grameena Bank	34	125.62	57	208.60
28	Delhi Financial Corporation	94	247.03	594	1319.90
29	Dena Bank	2363	13857.81	6875	36763.20

S No.	MLI	Financial Year 2012		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
30	Dena Gujarat Gramin Bank	25	63.33	29	80.65
31	Deutsche Bank	212	6303.00	229	6686.50
32	Durg Rajnandgaon Gramin Bank	159	360.99	1336	1834.86
33	Gurgaon Gramin Bank	193	354.23	226	446.26
34	Hadoti Kshetriya Gramin Bank	3	2.00	6	5.00
35	Haryana Gramin Bank	91	202.28	254	561.67
36	HDFC Bank Limited	229	7352.15	995	26456.78
37	Himachal Gramin Bank	211	1947.64	466	4079.55
38	ICICI Bank	35	267.79	692	853.19
39	IDBI Bank Ltd	148	3664.21	1580	42146.67
40	Indian Bank	2211	8860.00	8616	28459.49
41	Indian Overseas Bank	20728	117008.06	51170	218672.90
42	Indusind Bank	0	0.00	4	60.88
43	ING Vysya Bank Ltd	16	638.00	88	2347.08
44	Jaipur Thar Gramin Bank	227	56.04	1012	261.47
45	Jharkhand Gramin Bank	93	488.79	126	704.72
46	Karnataka Bank Ltd.	4525	21521.09	6471	30979.78
47	Karnataka Vikas Grameena Bank	3283	7017.58	8630	17652.87
48	Kashi Gomti Samyut Gramin Bank	309	808.35	550	1442.01
49	Kerala Financial Corporation	9	232.85	22	532.60
50	Kotak Mahindra Bank	14	735.00	15	765.00
51	Krishna Grameena Bank	26	34.98	68	71.45
52	Langpi Dehangi Rural Bank	151	392.60	278	661.08
53	Madhya Bihar Gramin Bank	282	772.51	296	785.41
54	MGB Gramin Bank	18	29.94	68	110.75
55	Mizoram Rural Bank	127	433.99	214	749.89
56	Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank	2	9.50	7	60.60
57	Narmada Malwa Gramin Bank	42	135.25	53	166.02
58	National Small Industries Corporation Ltd.	1	4.91	176	1458.57
59	Neelachal Gramya Bank	1530	5023.69	1698	6067.95
60	North Eastern Development Finance Corporation Ltd.	5	217.25	11	230.70

S No.	MLI	Financial Year 2012		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
61	North Malabar Gramina Bank	104	239.15	219	456.58
62	Oriental Bank Of Commerce	3459	39679.31	11187	109131.41
63	Pandyan Grama Bank	343	426.91	556	648.19
64	Parvatiya Gramin Bank	142	815.10	244	1322.14
65	Pragathi Gramin Bank	6	18.07	10	22.38
66	Prathama Bank	535	1810.49	2747	8477.04
67	Punjab & Sind Bank	832	4183.70	3018	12403.79
68	Punjab National Bank	16751	123395.03	85660	381679.10
69	Purvanchal Gramin Bank	4241	7055.99	12214	18929.28
70	Rajasthan Gramin Bank	55	236.40	98	406.75
71	Rushikulya Gramya Bank	0	0.00	9	41.86
72	Samastipur Kshetriya Gramin Bank	61	231.33	61	231.33
73	Sarva UP Gramin Bank	860	860.75	2228	2073.08
74	Satpura Narmada Kshetriya Gramin Bank	13	11.82	13	11.82
75	Saurashtra Gramin Bank	82	506.99	111	676.33
76	Sharda Gramin Bank	24	70.84	24	70.84
77	Shreyas Gramin Bank	12	29.96	71	116.30
78	Small Industries Development Bank of India	758	21771.79	5006	101184.94
79	South Malabar Gramin Bank	4742	7515.55	10477	15130.19
80	Standard Chartered Bank	182	4146.53	585	12835.01
81	State Bank of Bikaner & Jaipur	1575	4821.62	12344	21109.22
82	State Bank of Hyderabad	1001	4750.11	4382	18883.82
83	State Bank of India	48593	249240.43	153923	635571.82
84	State Bank of Mysore	2437	12834.70	6169	34923.24
85	State Bank of Patiala	1891	12032.60	4555	31298.47
86	State Bank of Travancore	2576	10720.45	12891	42009.48
87	Surguja Kshetriya Gramin Bank	13	101.66	13	101.66
88	Sutlej Gramin Bank	3	4.25	13	7.00
89	Syndicate Bank	8560	46656.22	21403	110419.81
90	Tamilnad Mercantile Bank Ltd	206	3300.07	361	3851.03
91	The Dhanalakshmi Bank Limited	8	298.46	13	458.77
92	The Federal Bank Ltd	610	4992.72	3255	17966.05

S No.	MLI	Financial Year 2012		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
93	The Jammu & Kashmir Bank Ltd	523	1751.38	1602	2546.21
94	The Karur Vysya Bank Ltd.	13	450.49	17	530.83
95	The Nainital Bank Ltd.	38	347.76	94	1043.04
96	The South Indian Bank Limited	3	18.31	13	33.77
97	The Tamilnadu Industrial Investment Corporation Limited	878	1679.57	2717	5000.64
98	Tripura Gramin Bank	117	207.53	274	750.34
99	Triveni Kshetriya Gramin Bank	0	0.00	4	45.35
100	UCO Bank	7257	24424.57	18875	54395.10
101	Union Bank of India	8732	32709.47	27182	100298.94
102	United Bank of India	7860	36153.80	22651	90961.87
103	Uttaranchal Gramin Bank	43	201.78	499	2372.77
104	Uttarbanga Kshetriya Gramin Bank	212	322.66	673	864.64
105	Vidharbha Kshetriya Gramin Bank	138	336.59	199	414.39
106	Vijaya Bank	870	6550.03	3226	20927.38
107	Visveshvaraya Grameena Bank	7	7.47	50	106.86
108	Wainganga Krishna Gramin Bank	218	1877.30	225	1930.74
109	Yes Bank Ltd	35	1310.00	51	2084.50
	TOTAL	**243981**	**1378398.11**	**792229**	**3713931.03**

ANNEXURE - III

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises

State Wise Report Guarantees Approved during FY 2012 & Cumulative as on 31 March, 2012

S No.	State Name	Financial Year 2012		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
1	Andaman & Nicobar	207	826.56	590	2067.86
2	Andhra Pradesh	9030	57398.33	29104	140804.05
3	Arunachal Pradesh	574	2709.85	1306	5422.55
4	Assam	12070	41580.12	28893	89581.65
5	Bihar	14560	61122.03	33278	124169.68
6	Chandigarh	309	3021.04	2150	11970.84
7	Chhattisgarh	3538	18799.54	9171	47082.30
8	Dadra & Nagar Haveli	40	858.91	128	3032.74
9	Daman & Diu	33	1027.88	131	2846.06
10	Delhi	2842	35594.93	7362	94897.09
11	Goa	2409	20715.25	5998	43354.84
12	Gujarat	12712	118764.18	39874	332760.74
13	Haryana	2351	25042.81	10757	76790.22
14	Himachal Pradesh	5311	32475.95	17695	101629.88
15	Jammu & Kashmir	2457	9920.97	6694	21454.31
16	Jharkhand	10477	67266.08	27549	163803.00
17	Karnataka	24624	121224.43	63403	313672.20
18	Kerala	22832	56364.64	75830	174190.93
19	Laksha Deep	18	35.72	67	130.38
20	Madhya Pradesh	6308	40809.74	24278	119721.03
21	Maharashtra	13910	143155.22	43385	369527.31
22	Manipur	394	1705.85	688	2365.39
23	Meghalaya	1074	5766.33	2873	12043.48
24	Mizoram	361	1558.21	885	2870.24
25	Nagaland	534	2328.69	989	4131.02
26	Orissa	14420	65460.29	44554	176336.50
27	Pondicherry	634	2561.15	1203	5082.64
28	Punjab	4632	35379.07	15741	105320.84
29	Rajasthan	7068	44367.04	35542	128262.08
30	Sikkim	128	676.02	535	2336.16
31	Tamilnadu	14865	100202.73	65177	289849.88
32	Tripura	1836	6778.04	3614	11875.91
33	Uttar Pradesh	30556	146606.20	110817	398281.98
34	Uttarakhand	3576	19176.57	9862	52857.73
35	West Bengal	17291	87117.74	72106	283407.52
	TOTAL	**243981**	**1378398.11**	**792229**	**3713931.03**

ANNEXURE - IV

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises

Sector-wise Guarantees Approved during FY 2012 & Cumulative as on 31 March, 2012

S No.	Sector Name	Financial Year 2012		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
1	Basic Metal Industries	579	6765.35	2898	23146.71
2	Beverages, Tobacco etc.	243	3146.16	853	8665.89
3	Chemicals etc.	569	9818.55	2410	33719.44
4	Cotton Textiles	1704	19356.99	7819	51649.86
5	Electrical Machinery	708	9091.66	3260	34711.01
6	Food Products	9064	56958.06	29876	157513.12
7	Information Technology	221	1914.71	2067	9580.16
8	Jute Textiles	210	1092.43	898	3677.23
9	Leather And Fur Products	1202	7202.35	4996	21093.34
10	Metal Products	4495	42657.72	24453	131928.55
11	Non-electrical Machinery, Tools And Parts	577	8868.96	2065	27119.28
12	Non-metallic Products	721	8905.84	3317	29067.29
13	Other Manufacturing	175263	916757.96	565671	2508071.23
14	Paper And Printing	1220	15066.07	4893	48937.02
15	Repairing Services	36	48.76	958	645.06
16	Repairing Services Except Capital Goods	172	1162.98	826	4493.72
17	Repairing Services For Capital Goods	226	1294.09	912	4327.59
18	Rubber, Petroleum etc.	282	4883.03	1123	14393.58
19	Services(industry Related)	34797	174091.99	89474	376555.77
20	Software	275	4555.81	1111	13143.88
21	Textile Products	7527	65435.24	27029	186723.03
22	Transport Equipment	309	4324.62	1080	12744.09
23	Wood Furniture	2727	12113.13	11090	3344.02
24	Wool, Silk etc.	854	2885.65	3150	8680.16
	TOTAL	**243981**	**1378398.11**	**792229**	**3713931.03**

ANNEXURE - V

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises

Slab-wise Guarantees Approved during FY 2012 & Cumulative as on 31 March, 2012

S No.	Range	Financial Year 2012		Cumulative	
		Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)	Proposals	Approved Amount (in ₹ Lakh)
1	Upto 100,000/-	58574	32743.76	295924	148856.23
2	100,001 to 200,000/-	66148	96950.16	170591	251516.68
3	200,001 to 500,000/-	62331	223995.63	169314	600860.3
4	500,001 to 10,00,000/-	25471	198622.66	71959	568047.62
5	10,00001 to 25,00000/-	22653	380308.12	62057	1038437.98
6	25,00,001 to 50,00,000/-	5938	226558.01	15854	604182.86
7	50,00,001 to 100,00,000/-	2866	219219.77	6530	502029.36
	TOTAL	**243981**	**1378398.11**	**792229**	**3713931.03**

N.B.: Actuals may vary due to intervening cancellations / modifications

Statement of Accounts

2011-2012

Auditor's Report

To,
The Board of Trustees,
Credit Guarantee Fund Trust for Micro & Small Enterprises
Mumbai

We have audited the attached Balance Sheet of Credit Guarantee Fund Trust for Micro & Small Enterprises as at March 31, 2012 and the Income and Expenditure Account and also the Cash Flow Statement for the year ended on that date both annexed thereto;

These financial statements are the responsibility of the management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with the Accounting Standards generally accepted in India. Those Standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining on a test basis, evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis.

We report that;

a) We have obtained all the necessary information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purpose of our audit;

b) In our opinion, proper books of accounts as required by law, have been kept by the Trust so far as it appears from our examination of the books;

c) The Balance Sheet, Income & Expenditure and Cash Flow Statement dealt with by this report are in agreement with the books of accounts.

d) In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said accounts read together with notes thereon, give true and fair view:

   i. In the case of Balance Sheet, of the state of affairs of the Trust as at 31st March 2012 ,

   ii. In the case of Income and Expenditure Account, of the surplus of the Trust for the year ended on that date, and

   iii. In the case of Cash Flow Statement of the cash flows of the Trust for the year ended on that date.

FOR D. C. BOTHRA & CO.
Chartered Accountants
(ICAI Firm Reg. No. 112257W)

Place: Mumbai
Date: September 13, 2012

(PAWAN BOTHRA, M.No.31215)
Partner

B A L A N C E S H E E T

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises
Balance Sheet as on March 31, 2012

Particulars	Schedules	As on 31.03.2012		As on 31.03.2011	
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
Sources of Funds					
Corpus Fund	1		30,727,083,536		29,383,924,443
Advance Received from SIDBI (Towords copus fund)			9,750,000		-
Current Liabilities & Provisions	2		6,170,590,836		4,017,541,532
Total			**36,907,424,372**		**33,401,465,975**
Application of Funds					
Fixed Assets					
Computer		1,674,451		1,295,339	
Less : Depreciation		1,673,873	578	1,295,296	43
Furniture & Fixture		7,500		-	
Less : Depreciation		7,499	1	-	-
Electrical Items		21,551		43,102	
Less : Depreciation		10,776	10,775	21,551	21,551
			11,354		**21,594**
Investments	3		32,698,096,989		31,232,681,816
Current Assets					
Cash in hand			2,214		304
Bank Balance	4		46,186,292		37,065,848
Accrued Income	5		2,808,356,965		772,455,185
Prepaid & Advance for Expenses	6		57,849		196,689
Amount Recoverable from Tax Authorities	7		1,354,712,709		1,359,044,539
Total			**36,907,424,372**		**33,401,465,975**
Notes forming parts of Accounts	9				

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

THE ABOVE BALANCE SHEET TOGETHER WITH SCHEDULES ANNEXED THERETO IS HEREBY AUTHENTICATED BY US.

For D. C BOTHRA & Co.
Chartered Accountants
ICAI Firm Reg. No.112257W

On behalf of the Board of Trustees

(PAWAN BOTHRA, M.No. 31215)
Partner

(S. Muhnot)
Chairman

Place: Mumbai
Date: September 13, 2012

(Amarendra Sinha)
Vice Chairman

(U R Tata)
Member Secretary

I N C O M E A N D E X P E N D I T U R E

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises
Income and Expenditure Account for the Year Ended March 31, 2012

Particulars	Schedules	Amount in (₹)	
		Current Year	Previous Year
INCOME			
Interest on Investments		3,094,259,270	2,179,903,925
Guarantee Fee		1,651,692,377	1,460,029,169
Annual Service Fee		973,420,131	399,604,593
Miscellaneous Receipts		34,008	227,790
Penal Interest Income		28,466	505
Recoveries by MLI's on Claim paid account		42,274,702	30,898,215
Profit on sale of Fixed Assets		-	11,994
		5,761,708,954	**4,070,676,191**
EXPENDITURE			
Operating and other Administrative Expenses	8	52,066,597	57,204,733
Provisions for Guarantee claims		2,820,000,000	600,000,000
Interest & Bank Charges		3,040	5,524
Depreciation		1,692,148	1,316,847
		2,873,761,785	658,527,104
EXCESS OF INCOME OVER EXPENDITURE		**2,887,947,169**	**3,412,149,087**
Add / (Less) : Prior period items		(458,075)	(3,067,888)
Surplus before tax		**2,887,489,094**	**3,409,081,199**
Less: Provisions for Income tax		1,556,830,000	1,054,740,000
Less: Provision for the Tax for earlier Year			662,998
Surplus of Income over Expenditure carried to Corpus Fund		**1,330,659,094**	**2,353,678,201**
Notes forming parts of Accounts	9		

AS PER OUR REPORT OF EVEN DATE

THE ABOVE INCOME & EXPENDITURE A/C TOGETHER WITH SCHEDULES ANNEXED THERETO IS HEREBY AUTHENTICATED BY US.

For D. C BOTHRA & Co.
Chartered Accountants
ICAI Firm Reg. No.112257W

(PAWAN BOTHRA, M.No. 31215)
Partner

Place: Mumbai
Date: September 13, 2012

On behalf of the Board of Trustees

(S. Muhnot)
Chairman

(Amarendra Sinha)
Vice Chairman

(U R Tata)
Member Secretary

S C H E D U L E

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises
Schedules Forming Part of the Balance Sheet as on 31st March, 2012

Particulars	As on 31.03.2012 (₹)	As on 31.03.2011 (₹)
Schedule : 1		
Corpus Fund		
Received from :		
Government of India	17,262,533,000	17,252,533,000
SIDBI	4,315,633,250	4,313,133,250
(Including the Corpus of Rs 25,00,00,000/- from SIDBI for RSF)		
(a)	**21,578,166,250**	**21,565,666,250**
Surplus of Income over expenditure		
Balance b/f	7,818,258,193	5,464,579,993
Add: Surplus of Current year	1,330,659,094	2,353,678,201
(b)	**9,148,917,286**	**7,818,258,193**
(a + b)	**30,727,083,536**	**29,383,924,443**
Schedule : 2		
Current Liabilities and Provisions		
Provision towards Guarantee claims (also see Note no 8 in Schedule 9)	6,142,075,898	3,991,996,899
Outstanding Liabilities towards expenses	4,475,442	3,148,007
Amount Reimbursable To SIDBI	2,687,768	3,508,031
Unclaimed Liability on A/c of Stale Cheque	1,813,720	1,618,940
TDS Payable	412,941	353,220
Insurance Claim received from LIC	200,000	200,000
Guarantee Fee Refundable	113,943	128,186
Annual Services Fee Refundable	-	49,205
Advance recd. towards GF & ASF from D C (Handicraft), GOI	18,811,124	16,539,044
	6,170,590,836	**4,017,541,532**
Schedule : 3		
Investments		
1) Investment in Fixed Deposits with Banks		
i) Investment of RSF Funds	250,000,000	250,000,000
ii)Investement of D C (Handicraft), GOI Advance	18,750,000	16,500,000
iii) Investment of Corpus & other Funds	32,429,346,989	30,713,081,816
2) Investment with IDBI under DIS	-	253,100,000
	32,698,096,989	**31,232,681,816**
Schedule : 4		
Bank Balance		
Current Accounts with:		
IDBI Bank Ltd.,	46,125,168	37,026,804
IDBI Bank Ltd., - D C (Handicraft),GOI,	61,124	39,044
	46,186,292	**37,065,848**

S C H E D U L E

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises
Schedules Forming Part of the Balance Sheet as on 31st March, 2012

Particulars		As on 31.03.2012 (₹)	As on 31.03.2011 (₹)
Schedule : 5			
Accrued Income			
Interest on Investments less TDS		2,808,356,965	772,455,185
		2,808,356,965	**772,455,185**
Schedule : 6			
Receivables			
Prepaid Expenses		38,947	-
Amt recoverable from MLI's		18,902	53,110
Advance for Expenses		-	143,579
		57,849	**196,689**
Schedule : 7			
Amount Recoverable from Tax Authorities			
Income Tax refundable 31/3/07		523,218,921	523,218,921
Income Tax refundable 31/3/08		611,302,943	611,302,943
Income Tax refundable 31/3/09		171,003,176	-
Advance Tax, TDS Paid 31/3/09		-	861,366,758
Advance Tax, TDS Paid 31/3/10		1,112,762,901	1,112,762,901
Advance Tax, TDS Paid 31/3/11		1,106,904,094	1,106,904,094
Advance Tax, TDS Paid 31/3/12		1,552,498,170	-
Fringe Benefit Tax Refundable		355,502	355,502
	(a)	**5,078,045,707**	**4,215,911,119**
Less: Provision for Tax 31/03/09		-	690,363,582
Provision for Tax 31/03/10		1,111,762,998	1,111,762,998
Provision for Tax 31/03/11		1,054,740,000	1,054,740,000
Provision for Tax 31/03/12		1,556,830,000	-
	(b)	3,723,332,998	2,856,866,580
Amount Recoverable from Tax Authorities	**(a)-(b)=**	**1,354,712,709**	**1,359,044,539**

S C H E D U L E

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises

Schedules Forming Part of Income and Expenditure Account for the year ended 31st March, 2012

Particulars	Current Year (₹)	Previous Year (₹)
Schedule : 8		
Operating and Other Administrative Expenses		
10th Foudation Day Expenses	-	1,804,358
ACSIC Expenses	7,214,784	2,395,093
Advertisement & Publicity Expenses	6,820,417	17,882,973
Auditors' Remuneration	280,900	220,600
Board Meeting Expenses	101,080	22,203
Conveyance & Vehicle Expenses	1,967,575	1,990,597
Courier/Postage Charges	331,497	331,493
Entertainment expenses	77,639	41,351
Insurance Charges	34,783	57,692
Internal Auditors remuneration	168,450	165,450
IT service	3,884,178	3,882,963
Membership Fees	112,983	100,000
Miscellaneous Expenses	129,793	95,035
Office Expenses	1,097,049	827,028
Office Rent	7,613,586	7,336,000
Personnel Cost & Expenses	17,577,592	13,877,033
Printing & Stationery	508,440	533,325
Professional Fee	1,287,173	650,681
Seminar & Meeting Expenses	93,978	1,579,691
Telephone Expenses	464,037	389,793
Travelling Expenses	2,300,663	3,021,375
	52,066,597	**57,204,734**

NOTES TO ACCOUNTS

Credit Guarantee Fund Trust for Micro and Small Enterprises
Schedule Forming Part of the Balance Sheet and Income and Expenditure Account

Schedule : 9

NOTES TO ACCOUNTS

1. Significant Accounting Policies

a) Accounting Conventions

The accompanying financial statements have been prepared keeping in view the generally accepted accounting principles continuing historical accounting.

b) Recognition of Income and Expenditure

The Trust follows the cash basis of accounting in respect of Guarantee Fee and Annual Service Fee and accrual/ mercantile basis for Investment Income. Interest accrued on FDs is calculated on compounding basis on a quarterly/yearly basis as applicable.

c) Fixed Assets

Fixed assets have been stated at cost less depreciation. Rate of depreciation is taken at 100% on Computer, Furniture and fixture and 50% on Electrical appliances.

d) Investment

Investments have been stated at cost. Investments relating to Risk Sharing Fund (RSF) and fund received from the office of DC (Handicraft), Government of India have been separately stated in the Balance Sheet.

e) Prior Period Adjustment

Expenses and income pertaining to earlier / previous years are accounted as prior period items.

f) Retirement Benefits

Retirement benefits are provided by SIDBI for its employees on deputation to the Trust and charged to revenue account annually on reimbursement basis.

2. Cumulatively up to March 31, 2012, the Trust had received 13242 (P.Y. 8209) claim applications from 39 Member Lending Institutions. The Trust had settled 7131 (P.Y. 5237) eligible claims for ₹ 180.07 crore (P.Y. ₹ 112.11 crore) towards first instalment; 190 applications were withdrawn by MLIs. Additional information of security details / subsidy amount, etc called for had not been received and therefore claims were temporarily closed. As on March 31, 2012, 4741 (P.Y.1577) applications were pending/temporarily closed for want of additional information.

3.

(₹ in Crores)

Particulars	As on 31.03.12	As on 31.03.11
Guarantee approval as on	37,139.31	23,846.01
Guarantee issued as on	33,481.64	21,157.00
Guarantee sanctioned, pending execution as on	3,657.67	2,689.01

Over and above the provision for claims held

the Trust is contingently liable for guarantee given / sanctioned in the event of non-performance of the MSE for whose protection such guarantee is given/ sanctioned.

4. Trust is availing facility of office accommodation, staff & IT services from SIDBI. As per the Memorandum of Understanding entered into between SIDBI and the Trust on October 04, 2001, the Trust pays service charge @ 20% on the expenses incurred by SIDBI on behalf of the Trust towards administrative expenses directly attributable to the functioning of the Trust till July 2009. However, with mutual decision the same was withdrawn w.e.f. August 2009.

5. The Trust pays 75% of the settled claim amount in the first instance, leaving balance amount to be paid after the compliances of prescribed legal procedures by MLIs. Only in 57 cases (P Y 27 cases) subsequent payment of 25% has been made. However in other cases the MLIs have yet to comply fully the legal requirements making them eligible for the receipt of the balance.

6. Auditor's Remuneration ₹ 2,80,900/- (P.Y. ₹ 2,20,600/-)

(in ₹)

Particulars	Current Year	Previous Year
Audit Fees	2,00,000	1,50,000
Tax Audit Fees	50,000	50,000
Service Tax	30,900	20,600
Total	**2,80,900**	**2,20,600**

7. Taxation

Provision for tax is made after taking into consideration the provisions of the Income Tax Act, 1961. Vide order dt. 07/12/11 the DIT (Exemption)-Mumbai has withdrawn registration granted to the Trust u/s. 12A w.e.f. from Assessment year 2009-10. This has resulted in change of tax status of the Trust and the income earned is liable to be taxed as business income from that year. Further the audit wing of the tax department has raised an issue of taxing the accumulated income of assessment years 2007-08 and 2008-09 amounting to ₹ 249 crores on the ground of withdrawal of such registration. The Trust has been advised that such action does not in any way directly result in tax liability until all the necessary process of law is completed and the sufficient opportunity is given to the Trust for raising its objections for such demand. Pending this, no provision has been made in the accounts for any such eventual liability.

8. Trust has obtained report of Actuary giving estimate of liability on outstanding guarantees given. Actuary has evaluated provision for such claims evolving Regression Equation between claims lodged & guarantees issued. On outstanding guarantee amounts as on 31/03/2012 the provision suggested by Actuary in his report is at ₹ 215 crores. Details of provision for such claims are as under:

(in ₹)

Particulars	Current Year	Previous Year
Opening balance as on 1st April	3,99,19,96,899	3,99,16,16,617
Less: Claim paid during the year	66,99,21,001	59,96,19,718
Add: Provision made during the year	2,82,00,00,000	60,00,00,000
Closing Balance as on 31st March	6,14,20,75,898	3,99,19,96,899

9. Particulars of expenditure in Foreign Currency (on Actual Basis)

(in ₹)

Particulars	Current Year	Previous Year
Participation Fees	12,101	81,070
Travelling & Others	6,87,065	7,15,016

10. Figures of previous year have been regrouped, reclassified and rearranged where ever necessary.

For D. C BOTHRA & Co.
Chartered Accountants
(Firm Reg. No.112257W)

On behalf of the Board of Trustees

(PAWAN BOTHRA, M.No. 31215)
Partner

(S. Muhnot)
Chairman

Place: Mumbai
Date: September 13, 2012

(Amarendra Sinha)
Vice-Chairman

(U R Tata)
Member Secretary

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक
SMALL INDUSTRIES DEVELOPMENT BANK OF INDIA

सी.जी.टी.एम.एस.ई. का पंजीकृत कार्यालय
7वाँ तल, एमएसएमई विकास केन्द्र
सी-11, जी-ब्लॉक, बांद्रा-कुर्ला काम्प्लैक्स,
बांद्रा (पूर्व), मुम्बई-400 051
दूरभाष : 022-2654 1803/04/06/07
फैक्स : 2654 1821, वेबसाइट : www.cgtmse.in

Registered Office of CGTMSE
7th Floor, MSME Development Centre,
C-11, G-Block, Bandra-Kurla Complex,
Bandra (East), Mumbai - 400 051
Tel.: 022-2654 1803/04/06/07
Fax: 2654 1821, Website : www.cgtmse.in

degree360solutios.com